# आयभर्ट्ट कॉलेज
# ARYABHATTA COLLEGE

## दिल्ली विश्वविद्यालय
## University of Delhi

## विवरणिका 2025-26
## Prospectus 2025-26

कुसुमपुर खण्ड
KUSUMPUR BLOCK

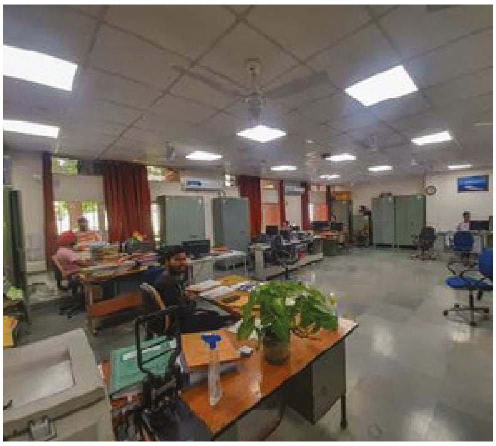

STUDENTS UTILITY CENTRE

# NAAC Certificate

## ( राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद)
## प्रमाणपत्र

राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का स्वायत्त संस्थान

NATIONAL ASSESSMENT AND ACCREDITATION COUNCIL

An Autonomous Institution of the University Grants Commission

Certificate of Accreditation

The Executive Committee of the
National Assessment and Accreditation Council
is pleased to declare
Aryabhatta College
Anand Niketan, New Delhi, Dist. South West Delhi,
a Constituent College of University of Delhi, Delhi as
Accredited
with CGPA of 3.38 on four point scale
at A+ grade
valid up to October 10, 2027

Date : October 11, 2022

Director

# Contents

प्राचार्य का संदेश ... 01
कॉलेज के बारे में ... 03
दृष्टिकोण ... 04
उद्देश्य ... 04
कॉलेज परिसर में उपलब्ध सुविधाएँ ... 04
पाठ्यक्रमों की उपलब्धता ... 05
शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए प्रवेश समिति ... 06
शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए हेल्पडेस्क समिति ... 08
प्रवेश प्रशिक्षण प्रकोष्ठ, 2025-26 ... 09
स्नातक प्रोग्राम/पाठ्यक्रम में पंजीकरण और प्रवेश-2025 ... 10
CSAS (UG) – 2025 आवंटन सह-प्रवेश अनुसूची ... 11
UGCF का संरचना और पाठ्यक्रम ... 12
पूर्ण पाठ्यक्रम (एड-ऑन कोर्स), सत्र 2025-26 ... 15
स्नातकोत्तर प्रोग्राम्स ... 15
उत्तीर्णता और अगले वर्ष के लिए पदोन्नति मानदंड ... 15
आंतरिक मूल्यांकन के लिए विश्वविद्यालय अधिसूचना ... 16
विश्वविद्यालय अधिसूचना: छात्रों का चौथे वर्ष में प्रगति UGCF 2022 ... 20
उपस्थिति के नियम ... 21
अनुशासन नीति ... 25
रैगिंग निषेध और सज़ा ... 27
कार्य स्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (रोकथाम/निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 ... 30
वित्तीय सहायता और पुरस्कार ... 31
कॉलेज पुस्तकालय ... 33
कर्मचारी परिषद समितियाँ, सत्र 2025-26 ... 36
छात्रों का कोना ... 38
- शैक्षणिक समितियाँ
- योजनाएँ (एनसीसी और एनएसएस)
- पाठ्येतर समितियाँ
- छात्र परिषद
- चिकित्सा सुविधाएँ
- शारीरिक शिक्षा विभाग

शिक्षकों की सूची ... 40
नॉन-टीचिंग स्टाफ ... 44
सीट मैट्रिक्स 2025-26 ... 46
ECA मैट्रिक्स 2025-26 ... 47
फीस और जुर्माना ... 48
शुल्क संरचना, सत्र 2025-26 ... 48
विवरणिका समिति. ... 49

# प्राचार्य का संदेश

प्रिय विद्यार्थियों,

मुझे आर्यभट्ट कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय में आपका स्वागत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है—एक गतिशील संस्थान जो न केवल शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए, बल्कि चरित्र निर्माण, आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने और भविष्य के लिए तैयार व्यक्तियों को निरंतर बदलती दुनिया में फलने-फूलने के लिए तैयार करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। जैसे ही हम एक नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत करते हैं, हम नई आशा, नई आकांक्षाओं और सार्थक विकास के वादे के साथ ऐसा करते हैं।

मुझे आपके साथ यह साझा करते हुए गर्व हो रहा है कि हमारे कॉलेज को NAAC (राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद) द्वारा A+ ग्रेड प्रदान किया गया है, जो उस दृष्टिकोण और मूल्यों को दर्शाता है जो हमारे कॉलेज को परिभाषित करते हैं और उस शैक्षिक यात्रा को आकार देते हैं जो हम अपने शैक्षणिक परिवार का हिस्सा बनने वाले प्रत्येक छात्र को प्रदान करते हैं। "जानना, समझना और जागृत होना" के आदर्श वाक्य द्वारा निर्देशित, कॉलेज अन्वेषण और प्रयोग की भावना के माध्यम से ज्ञान की पूर्ण प्राप्ति की दिशा में प्रयासरत है। हमारा लक्ष्य न केवल छात्रों का पोषण करना है, बल्कि ज़िम्मेदारी से जागरूक नागरिक, नैतिक नेता और दयालु इंसान भी विकसित करना है जो समाज में सार्थक योगदान देने के लिए तैयार हों। शैक्षणिक उत्कृष्टता और समग्र विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता इस तथ्य से स्पष्ट होती है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के एक अंग के रूप में, हम सभी पाठ्यक्रमों में विभिन्न कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम और मूल्य संवर्धन पाठ्यक्रम रणनीतिक रूप से शुरू करके, NEP 2020 के कार्यान्वयन में अग्रणी रहे हैं। हमें इस बात पर भी गर्व है कि हम दिल्ली विश्वविद्यालय और दिल्ली एनसीआर में एकमात्र ऐसे कॉलेज हैं जिसे भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा छात्रों के बीच IKS को बढ़ावा देने हेतु भारतीय ज्ञान प्रणाली का केंद्र होने के लिए मान्यता प्राप्त है। इसके अलावा, कई सोसाइटी और सेल, कई पाठ्येतर गतिविधियों के साथ, जिनमें फील्ड ट्रिप, सेमिनार और कार्यशालाएँ शामिल हैं, छात्रों को अनुभवात्मक शिक्षा और सामुदायिक जुड़ाव के सार्थक अवसर प्रदान करते हैं। हमारी कक्षाएँ, प्रयोगशालाएँ, पुस्तकालय और सह-पाठ्यचर्या मंच सभी समावेशिता और पारस्परिक सम्मान के मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं जो छात्रों में रचनात्मकता, सहयोग और आत्मविश्वास को प्रेरित करते हैं।

मुझे यह बताते हुए भी खुशी हो रही है कि हमारा नया सात मंजिला कॉलेज भवन निर्माण के अंतिम चरण में है। आगामी बैच को शैक्षणिक सत्र 2025-26 से इस नए भवन का उपयोग शुरू करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इसके अलावा, शिक्षण और सीखने के उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए, हमारे कॉलेज ने 93 स्थायी संकाय सदस्यों के एक असाधारण प्रतिभाशाली और योग्य समूह को नियुक्त किया है जो निरंतर शैक्षणिक विधियों का विकास करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हमारे छात्र न केवल अच्छी तरह से सूचित हों, बल्कि आलोचनात्मक सोच, प्रभावी संचार और स्वतंत्र जांच में भी सक्षम हों। आर्यभट्ट कॉलेज आज देश भर से प्रतिभाशाली युवा दिमागों को आकर्षित करता है। हम हर स्तर पर नवाचार, उद्यमिता और अनुसंधान को प्रोत्साहित करते हैं, अपने छात्रों में जिज्ञासा और आजीवन सीखने की भावना को बढ़ावा देते हैं।

एनईपी के चौथे वर्ष से संबंधित सभी चुनौतियों के बावजूद, हमारा कॉलेज नए शैक्षणिक सत्र में प्रवेश करने के लिए आत्मविश्वास से तैयार है। हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट है - उत्कृष्टता का एक केंद्र बनना जो न केवल ज्ञान प्रदान करे बल्कि ज्ञान का सृजन भी करे। मैं आपको इस गतिशील संस्था के एक हिस्से के रूप में कल्पना करने के लिए आमंत्रित करता हूँ—बढ़ते, विकसित होते और बदलाव लाते हुए। मुझे विश्वास है कि आर्यभट्ट कॉलेज आपको दृढ़ संकल्पित रहने और कठोर शैक्षणिक एवं पाठ्येतर गतिविधियों में संलग्न होने के लिए प्रेरित करेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपनी शिक्षा और करियर की नेक खोज में, कॉलेज द्वारा उपलब्ध कराए गए विविध अवसरों का सर्वोत्तम उपयोग करेंगे। हम आपके साथ मिलकर इस महान देश को एक अच्छा नागरिक प्रदान करने का प्रयास करेंगे, जैसे-जैसे यह 2047 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बनाने की ओर अग्रसर होगा।

सीखने और खोज की एक रोमांचक यात्रा। आपके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएँ।

प्रो. मनोज सिन्हा
प्राचार्य

# महाविद्यालय के संबंध में

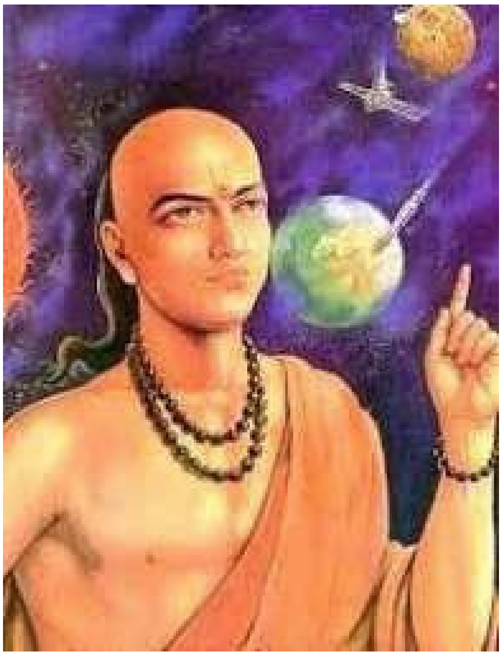

अकादमिक सत्र 2014-15 में आर्यभट्ट कॉलेज अपने अस्तित्व में आया। आज उच्च शिक्षा के क्षेत्र में यह ख्याति प्राप्त कॉलेज के रूप में जाना जाता है जिसने हाल ही में NAAC में A+ श्रेणी अर्जित की है। यह एक सह-शैक्षिक संस्थान है जिसे 1973 से दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से संचालित किया जा रहा है। आर्यभट्ट कॉलेज विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित कॉलेज है।

अपने स्वतंत्र अस्तित्व में आने के बाद आर्यभट्ट कॉलेज ने तेजी से चहुमुखी विकास दर से अपनी एक विशेष पहचान बनाई है। महान भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर स्थापित यह कॉलेज ज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में लगातार नित नवीन ख्यातियों अर्जित कर अपने नाम की सार्थकता सिद्ध कर रहा है। महान भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने गणित और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में परिवर्तनकारी योगदान दिया है।
इस तरह विरासत में मिली 'अपनी महान परंपरा के आलोक का निर्वहण करते हुए आर्यभट्ट ने अपने शैक्षिक आदर्श और शिक्षा शास्त्रीय प्रतिमान के रूप में 'जानना, समझना और जगाना "को मूल उद्देश्य मानते हुए इसे प्रायोगिक धरातल पर उतारने का काम किया है। 8 स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों के साथ शुरू होने वाले इस कॉलेज में आज 15 स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम चल रहे हैं। कॉलेज में पूर्णकालिक योग्य शिक्षक हैं जो यहां पढ़ रहे करीब 2300 छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करते हैं।

गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिबद्ध आर्यभट्ट कॉलेज में दक्षिण परिसर के अंतर्गत स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग (SOL) और नॉन कॉलेजिएट वूमन एजुकेशन बोर्ड (NCWEB) के शैक्षिक केंद्र स्थापित हैं। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के तत्वावधान में उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण (AISHE) के लिए वार्षिक डाटा संग्रहण के कार्य में भी आर्यभट्ट कॉलेज अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। छात्रों में अकादमिक ज्ञान वृद्धि के साथ-साथ उनके मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक और संवेदनात्मक विकास हेतु योग्य और शिक्षण कौशल से युक्त शिक्षकों द्वारा वर्षभर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। हमारे छात्रों की प्रोफाइल बहुसांस्कृतिक पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता और समृद्धि को दर्शाते हैं। महाविद्यालय विभिन्न संस्थाओं और इकाइयों के माध्यम से विभिन्न सह-अध्यायी गतिविधियों में भागीदारी के लिए कई अवसर प्रदान करता है। कॉलेज की संस्थाएं और इकाईयों छात्रों में निहित संभावनाओं को सर्वोच्च आकार देने के लिए पूर्ण रूपेण समर्पित हैं।

हमारे छात्र खेल, सामाजिक सेवा, संस्कृति पर्यावरणीय स्वास्थ्य और पर्यावरणीय स्थिरता के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर चुके हैं। इस तरह आर्यभट्ट कॉलेज एक ऐसे शैक्षणिक संस्थान के रूप में उभरा है जिसमें छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाते हैं। कॉलेज अपनी गतिविधियों के जरिए छात्रों की क्षमताओं का दोहरा सुधार और मजबूती का हर संभव प्रयास करता है ताकि भविष्य के विविध आयामों और पहलुओं की बेहतर समझ विकसित हो।

# दृष्टि

जीवन परिवर्तन - कल्पना करें, सक्षम बनाएँ, सशक्त बनाएँ, प्रबुद्ध बनाएँ। एक समावेशी और सहानुभूतिपूर्ण समाज की कल्पना करें।

- छात्रों को बेहतर कल के निर्माता बनने में सक्षम बनाएँ।
- छात्रों को सामाजिक रूप से ज़िम्मेदार नागरिक बनने के लिए सशक्त बनाएँ।
- ज्ञान प्रसार और समझ के माध्यम से प्रबुद्ध बनाएँ जिससे आध्यात्मिक जागृति हो।

# उद्देश्य

सभी के लिए समावेशी और समान शिक्षण अवसर सुनिश्चित करना। एक ऐसा समावेशी और सांस्कृतिक रूप से अनुकूल वातावरण प्रदान करना जो छात्रों को एकजुट और सक्षम बौद्धिक, रचनात्मक और नेतृत्व कौशल प्राप्त करने के लिए प्रेरित करे। वैश्विक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आलोचनात्मक सोच, अनुसंधान और उद्योग-अकादमिक सहयोग को बढ़ावा देने हेतु नवीन शिक्षण पद्धति के माध्यम से अंतःविषय शिक्षण को प्रोत्साहित करना।
आउटरीच कार्यक्रमों के माध्यम से प्रकृति और समाज के प्रति जवाबदेही और संवेदनशीलता विकसित करना।

# परिसर में सुविधाएं

- मनोविज्ञान प्रयोगशालाएँ
- कंप्यूटर प्रयोगशालाएँ
- पुस्तकालय
- उच्च तकनीक परिसर
- शांति क्षेत्र
- चिकित्सा कक्ष
- सम्मेलन कक्ष
- सेमिनार कक्ष
- वाचनालय
- कैफेटेरिया संकाय अनुसंधान केंद्र
- छात्र गतिविधि केंद्र
- खेल और शारीरिक गतिविधि कक्ष
- एनसीवेब, एसओएल और केंद्रीय मूल्यांकन
- केंद्र (सीईसी)
- भाषा प्रयोगशाला
- एनसीसी एनएसएस कक्ष
- छात्र उपयोगिता केंद्र
- लड़कियों का कॉमन रूम

# प्रस्तावित पाठ्यक्रम

- बी.कॉम. (ऑनर्स)
- बी.ए. (ऑनर्स) अर्थशास्त्र
- बी.ए. (ऑनर्स) अंग्रेजी
- बी.ए. (ऑनर्स) हिंदी
- बी.ए. (ऑनर्स) इतिहास
- बी.ए. (ऑनर्स) राजनीति विज्ञान
- बी.ए. (ऑनर्स) मनोविज्ञान
- बी.एससी. (ऑनर्स) कंप्यूटर विज्ञान
- बी.एससी. (ऑनर्स) गणित
- बी.ए. (ऑनर्स) व्यावसायिक अर्थशास्त्र (बीबीई)
- प्रबंधन अध्ययन स्नातक (बीएमएस)

1. बी.ए.
    - अर्थशास्त्र+गणित
    - अंग्रेजी + मनोविज्ञान
    - इतिहास + राजनीति विज्ञान
2. बी.कॉम.

# जी.ई. पेपर की सूची

| विभाग | सेमेस्टर I के लिए GE पेपर का नाम |
|---|---|
| हिन्दी | हिंदी सिनेमा और उनका अध्ययन |
| बी एम सी | भारत से प्रबंधन ज्ञान |
| मनोविज्ञान | मनोविज्ञान की नींव |
| राजनीतिक विज्ञान | भारतीय राजनीतिक चिंतन में विचार |
| कंप्यूटर साइंस | पायथन प्रोग्रामिंग |
| वाणिज्य | व्यवसाय संगठन |
| अँग्रेज़ी | (Hons.) साहित्य और मानवाधिकार |
| | (Prog) साहित्य के माध्यम से अंग्रेजी भाषा- 1 |
| इतिहास | दिल्ली का युगों से: इसके प्रारंभिक आधुनिक इतिहास का निर्माण |
| अर्थशास्त्र | सूक्ष्मअर्थशास्त्र के सिद्धांत - I |

# शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए प्रवेश समिति

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **डॉ. राजेश कुमार द्विवेदी** | | **संयोजक** | **9210475904** | **admission059@aryabhattacollege.ac.in** |
| **डॉ. हैली सिंह थोकचोम** | | **सह संयोजक** | **9871920319** | **dr.halley@aryabhattacollege.ac.in** |
| **श्री संकेत शेखर** | | **सह संयोजक** | **8750809733** | **sanketshekhar@aryabhattacollege.ac.in** |
| **क्र. सं.** | **पाठ्यक्रम का नाम** | **प्रवेश प्रभारी** | **मोबाइल नंबर** | **मेल पता** |
| 1 | कला-स्नातक (विज्ञ पाठ्यक्रम) व्यवसाय अर्थशास्त्र | सुश्री गायत्री यादव | 9560545029 | gayatri@aryabhattacollege.ac.in |
| 2 | कला-स्नातक (विज्ञ पाठ्यक्रम) अर्थशास्त्र | श्री हरीश धवन | 9811667776 | harish@aryabhattacollege.ac.in |
| 3 | कला-स्नातक (विज्ञ पाठ्यक्रम) अंग्रेजी | सुश्री अलका लखेरा | 9354416990 | alka@aryabhattacollege.ac.in |
| 4 | कला-स्नातक (विज्ञ पाठ्यक्रम) हिंदी | डॉ. नीतू जय सिंघानी | 9811228487 | neetujaisinghani@aryabhattacollege.ac.in |
| 5 | कला-स्नातक (विज्ञ पाठ्यक्रम) इतिहास | डॉ. कृष्ण मुरारी | 9868329204 | murari@aryabhattacollege.ac.in |
| 6 | कला-स्नातक (विज्ञ पाठ्यक्रम) राजनीति शास्त्र | प्रो. त्रिपुरारी शरण | 9810279837 | tripurari@aryabhattacollege.ac.in |
| 7 | कला-स्नातक (विज्ञ पाठ्यक्रम) मनोविज्ञान | डॉ. अनीशा जुनेजा | 9971950630 | anishajuneja@aryabhattacollege.ac.in |
| 8 | विज्ञान-स्नातक (विज्ञ पाठ्यक्रम) कंप्यूटर विज्ञान | श्री गगनदीप शर्मा | 9419855276 | gagandeep@aryabhattacollege.ac.in |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | विज्ञान-स्नातक (विज्ञ पाठ्यक्रम) गणित | डॉ. नवीन कुमार जैन | 9968113814 | naveenjain@aryabhattacollege.ac.in |
| 10 | वाणिज्य-स्नातक (विज्ञ पाठ्यक्रम) | डॉ. विनय कुमार | 9540373596 | dr.vinaydse24@aryabhattacollege.ac.in |
| 11 | वाणिज्य-स्नातक | डॉ. आंचल गुप्ता | 9999024255 | aanchal@aryabhattacollege.ac.in |
| 12 | प्रबंधन अध्ययन स्नातक (बीएमएस) | श्री प्रदीप सिंह | 9990841595 | pardeepsingh@aryabhattacollege.ac.in |
| 13 | एससी/एसटी काउंसलिंग | डॉ. अंकित प्रकाश | 9268357402 | ankitprakash@aryabhattacollege.ac.in |
| 14 | ओबीसी काउंसलिंग | डॉ. चंद्रशेखर निषाद | 9717828951 | csnishad@aryabhattacollege.ac.in |
| 15 | ईडब्ल्यूएस काउंसलिंग | सुश्री उपासना | 9837092147 | upasana@aryabhattacollege.ac.in |
| 16 | पीडब्ल्यूबीडी काउंसलिंग | डॉ. राजीव कुमार रंजन | 9818675342 | rajiv@aryabhattacollege.ac.in |
| 17 | नॉर्थ ईस्ट काउंसलिंग | सुश्री सोशोमी माकांग | 9599175143 | soshomi.mk@aryabhattacollege.ac.in |
| 18 | विदेशी छात्र सलाहकार | डॉ. कार्तिकिया कोहली | 9871058734 | kartikeya@aryabhattacollege.ac.in |
| 19 | खेल प्रवेश समिति | प्रो. नरेन्द्र कुमार | 9891200143 | nkbudhraja@aryabhattacollege.ac.in |
| 20 | ईसीए प्रवेश समिति | श्री अभिषेक जयसवाल | 7838370738 | abhishekjaiswal@aryabhattacollege.ac.in |
| 21 | नोडल अधिकारी (पीएमएसएसएस) | श्रीमती अंजू अग्रवाल | 9818762760 | anjuaggarwal@aryabhattacollege.ac.in |
| 22 | कला-स्नातक (प्रोग्राम) सभी अनुशासन (संयोजक) | डॉ. आस्था आहूजा | 9873284291 | asthaahuja@aryabhattacollege.ac.in |
| A | कला-स्नातक (प्रोग्राम) अर्थशास्त्र + गणित | डॉ. मनोज सिंह | 9540961004 | manojsingh@aryabhattacollege.ac.in |
| B | कला-स्नातक (प्रोग्राम) मनोविज्ञान + अंग्रेजी | डॉ. सुनील गुप्ता | 8800277211 | drsunilgupta@aryabhattacollege.ac.in |
| C | कला-स्नातक (प्रोग्राम) इतिहास + राजनीति विज्ञान | डॉ. सचिन कुमार | 9953573625 | kumar@aryabhattacollege.ac.in |

# प्रवेश के लिए हेल्प डेस्क समिति: 2025-26

| श्री संकेत शेखर (संयोजक) | | 8750809733 | sanketshekhar@aryabhattacollege.ac.in |
|---|---|---|---|
| क्र.सं. | नाम और पदना | मोबाइल नंबर | मेल पता/Email address |
| 1 | डॉ. आस्था आहूजा | 9873284291 | asthaahuja@aryabhattacollege.ac.in |
| 2 | डॉ. तृप्ति | 9818744024 | triptisangwan@aryabhattacollege.ac.in |
| 3 | डॉ. एन एम सिंह | 9810829480 | nmanichandras@aryabhattacollege.ac.in |
| 4 | डॉ. रोशनी | 9899451005 | roshni@aryabhattacollege.ac.in |
| 5 | डॉ. धीरेंद्र बहादुर सिंह | 9582580180 | singhdhirendra@aryabhattacollege.ac.in |
| 6 | डॉ. पवन कुमार | 9416110394 | pawan@aryabhattacollege.ac.in |
| 7 | प्रो. राजेंद्र दयाल | 9873722550 | rajendradayal@aryabhattacollege.ac.in |
| 8 | डॉ. सोनल लिंडा | 7838474460 | lindasonal@aryabhattacollege.ac.in |
| 9 | प्रो. नरेंद्र कुमार | 9891200143 | nkbudhraja@aryabhattacollege.ac.in |
| 10 | प्रो. मोनिका अग्रवाल | 9650780781 | monica@aryabhattacollege.ac.in |
| 11 | डॉ. विनय कुमार | 7982007352 | dr.vinaydse24@aryabhattacollege.ac.in |
| 12 | श्री प्रदीप सिंह | 9990841595 | pardeepsingh@aryabhattacollege.ac.in |
| 13 | डॉ. अनुज कुमार | 9891604044 | dr.anuj@aryabhattacollege.ac.in |
| 14 | डॉ. नीरा | 9910862046 | neera@aryabhattacollege.ac.in |
| 15 | श्रीमती अंजू अग्रवाल | 9818762760 | anjuaggarwal@aryabhattacollege.ac.in |
| 16 | श्री सुनील सिंह लिंगवाल | 9810994429 | sunillingwal@aryabhattacollege.ac.in |

# प्रवेश शिकायत प्रकोष्ठ : 2025-26

| | | | |
|---|---|---|---|
| डॉ. हैली सिंह थोकचोम (संयोजक) | | **9871920319** | **dr.halley@aryabhattacollege.ac.in** |
| **क्र.सं.** | **नाम** | **मोबाइल नंबर** | **मेल पता** |
| 1 | डॉ. राम कृष्ण | 9999383969 | krishna@aryabhattacollege.ac.in |
| 2 | सुश्री गायत्री यादव | 9560545029 | gayatri@aryabhattacollege.ac.in |
| 3 | श्री हरीश धवन | 9811667776 | harish@aryabhattacollege.ac.in |
| 4 | सुश्री अलका लखेरा | 9354416990 | alka@aryabhattacollege.ac.in |
| 5 | डॉ. नीतू जय सिंघानी | 9811228487 | neetujaisinghani@aryabhattacollege.ac.in |
| 6 | डॉ. कृष्ण मुरारी | 9868329204 | murari@aryabhattacollege.ac.in |
| 7 | प्रो. त्रिपुरारी शरण | 9810279837 | tripurari@aryabhattacollege.ac.in |
| 8 | डॉ. अनीशा जुनेजा | 9971950630 | anishajuneja@aryabhattacollege.ac.in |
| 9 | श्री गगनदीप शर्मा | 9419855276 | gagandeep@aryabhattacollege.ac.in |
| 10 | डॉ. नवीन कुमार जैन | 9968113814 | naveenjain@aryabhattacollege.ac.in |
| 11 | डॉ. विनय कुमार | 9540373596 | dr.vinaydse24@aryabhattacollege.ac.in |
| 12 | डॉ. आंचल गुप्ता | 9999024255 | aanchal@aryabhattacollege.ac.in |
| 13 | श्री प्रदीप सिंह | 9990841595 | pardeepsingh@aryabhattacollege.ac.in |

# स्नातक कार्यक्रमों में पंजीकरण और प्रवेश - 2025

**सामान्य निर्देश**

1. दिल्ली विश्वविद्यालय के स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने के लिए छात्रों को CUET 2024 के https://cuets.samarth.ac in / पर पंजीकरण कराना होगा। इस संबंध में दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.du.ac.in पर जाएँ।

**सामान्य दिशा-निर्देश**

आवदेक अनिवार्य रूप से भारत का नागरिक हो।

आवेदक ने भारत के किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से बारहवीं की परीक्षा उत्तीर्ण की हो या भारतीय विश्वविद्यालयों के संघ (AIU) द्वारा 10+2 प्रणाली के समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी भी विदेशी शिक्षण संस्थान से परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

विदेशी छात्र श्रेणी के अंतर्गत प्रवेश चाहने वाले आवेदकों को विदेशी छात्र रजिस्ट्री वेबसाइट, http://fsr2025.uod.ac.in के माध्यम से अलग से आवेदन करना होगा।

अधिक जानकारी के लिए महत्वपूर्ण लिंक https://www.admission uod ac.in/?UG Admissions portal पर जाएँ।

# CSAS (UG) – 2025 आवंटन-सह-प्रवेश कार्यक्रम

| TASK | TIME AND DATES |
|---|---|
| **सीएसएएस का चरण I और चरण II** | |
| CSAS के पहले चरण में पहले से पंजीकृत उम्मीदवारों के लिए सुधार विंडो। | Sunday, July 06, 2025 till 11:59 pm Friday, July 11, 2025 |
| वरीयता - कार्यक्रम और कॉलेजों के लिए आवेदन सीएसएएस | Tuesday, July 08, 2025 till 11:59 pm Monday, July 14, 2025 |
| CSAS प्राथमिकताओं को स्वचालित रूप से लॉक | 11:59 pm, Monday, July 14, 2025 |
| **रैंक का प्रदर्शन** | |
| रैंक की घोषणा | 05:00 pm Tuesday, July 15, 2025 |
| प्राथमिकता परिवर्तन विंडो | 05:00 pm Tuesday, July 15, 2025 till 11:59 pm Wednesday, July 16, 2025 |
| पहली सीएसएएस आवंटन सूची की घोषणा | 05:00 pm Saturday, July 19, 2025 |
| **सीएसएएस आवंटन और प्रवेश का पहला दौर** | |
| उम्मीदवारों को आवंटित सीट "स्वीकार" करनी होगी | 05:00 pm Saturday, July 19, 2025 till 04:59 pm Monday, July 21, 2025 |
| कॉलेज ऑनलाइन आवेदनों का सत्यापन और अनुमोदन | 05:00 pm Saturday, July 19, 2025 till 04:59 pm Tuesday, July 22, 2025 |
| उम्मीदवार द्वारा ऑनलाइन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि | till 04:59 pm Wednesday, July 23, 2025 |
| **सीएसएएस आवंटन और प्रवेश का दूसरा दौर** | |
| उम्मीदवारों के डैशबोर्ड पर रिक्त सीटों का प्रदर्शन | 05:00 pm Thursday, July 24, 2025 |
| उच्चतर प्राथमिकताओं को पुनः क्रमित करने के लिए विंडो | 05:00 pm Thursday, July 24, 2025 till 04:59 pm Friday, July 25, 2025 |
| दूसरे सीएसएएस आवंटन की घोषणा | 05:00 pm Monday, July 28, 2025 |
| उम्मीदवारों को आवंटित सीट "स्वीकार" करनी होगी | 05:00 pm Monday, July 28, 2025 till 04:59 pm Wednesday, July 30, 2025 |
| कॉलेज ऑनलाइन आवेदनों का सत्यापन और अनुमोदन | 05:00 pm Monday, July 28, 2025 till 04:59 pm Thursday, July 31, 2025 |
| उम्मीदवार द्वारा ऑनलाइन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि | till 04:59 pm Friday, August 01, 2025 |

# यूजीसीएफ फ्लोचार्ट

### StructureofUGSingleCoreDiscipline Program

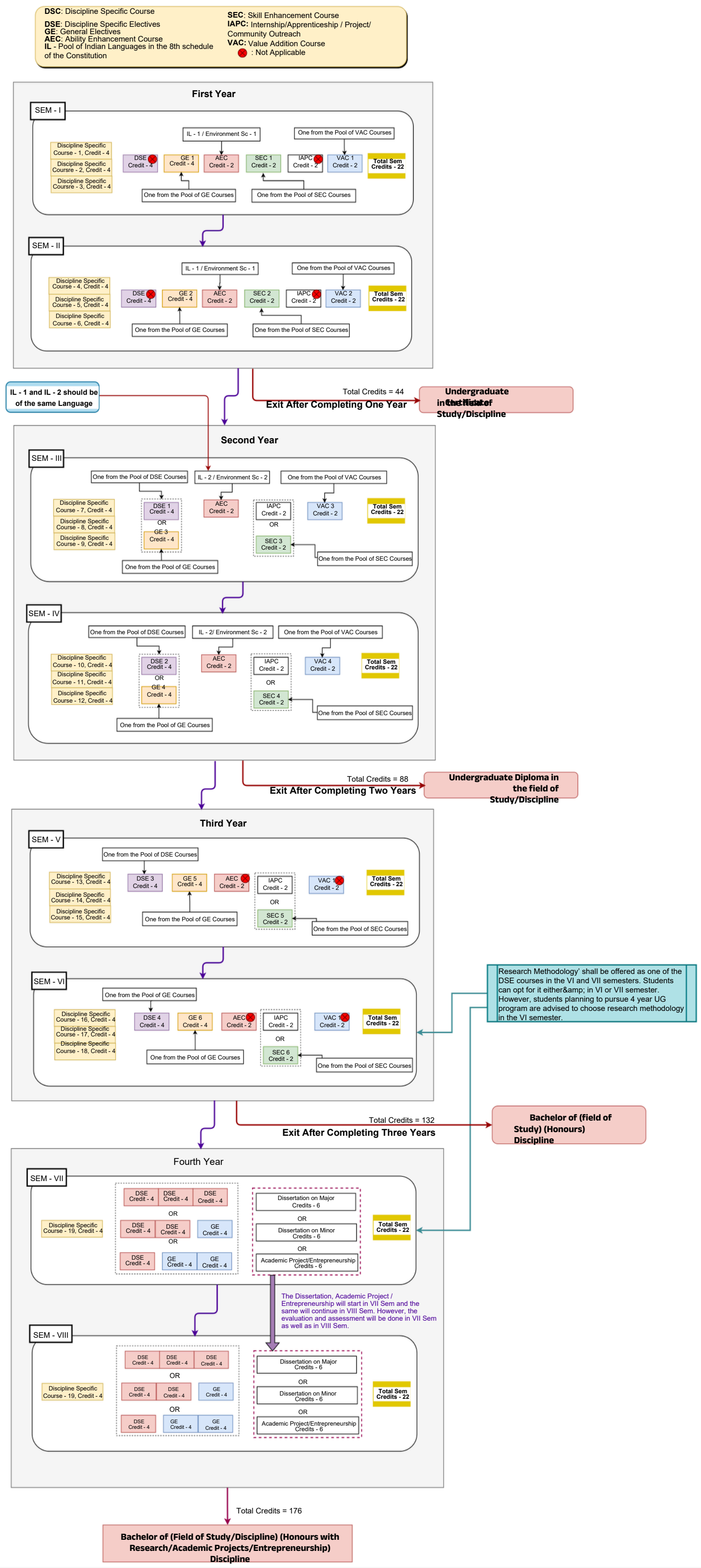


**Important note:** Students studying DSEs offered by any Discipline other than His/Her Core Discipline will be treated as GE for Him/Her.

In a single core discipline program, the student shall Major in the core discipline. However, if he/she wishes to Minor in another discipline then he/she has to earn 28 credits from GE courses of the second discipline.

**In four years,** a student will study the following number of DSCs, DSEs and GEs:
Total DSC papers : 20
Total DSE paper opons : 10 (minimum to be chosen is 4)
Total GE paper opons : 10 (minimum to be chosen is 4)

The student can **Minor** in another discipline, if he/she fulfills the following criteria:

**Seven GEs = Minor**
(7 x 4) = 28 credits

**Example**: A student is enrolled in B.A. (Hons.) History and decides to pursue 4th year (sem VII + sem VIII).

If he successfully completes the 4th year, he/she will be awarded **Major in History**.

In addition, if the student successfully completes, seven GEs in Political Science, he/she will be awarded **Minor in Political Science**.

## Structure of UG Program Two core Disciplines
## Applicable to all B.A.(Programs)

**DSC**: Discipline Specific Course
**DSE**: Discipline Specific Electives
**GE**: General Electives
**AEC**: Ability Enhancement Course
**IL** - Pool of Indian Languages in the 8th schedule of the Constitution
**SEC**: Skill Enhancement Course
**IAPC:** Internship/Apprenticeship / Project/ Community Outreach
**VAC:** Value Addition Course
● : Not Applicable

Example: For BA (Programme) History + Economics
A student shall study two disciplines, i.e., History and Economics
DSC 1 may be of Discipline A or B (say, History / Economics),
DSC 2 may be of Discipline A (say, History) and
DSC 3 may be of Discipline B (say, Economics).

**GE-1, GE-3 should be of one Language**
**GE - 2, GE - 4 should be of Language other than studied in GE-1 and GE-3.**
**At least one of the language should be Indian Language.**

**Important**
Student can study **Two DSCs** of any of the Two Disciplines of the B.A. (Program) per sem in semesters 1 and II (Example: Two DSCs of discipline A and one DSC of discipline B).
However, in Third sem student will have the option to interchange the Disciplines (example two DSCs of discipline B and one DSC of discipline A).
Such choices made in the third semester shall continue till VIth Sem.

**IL - 1 and IL - 2 should be of the same Language**

Important note: Students studying DSEs offered by any Discipline other than His/Her Core Discipline will be treated as GE for Him/Her.

In the fourth year, students will study only one of the discipline i.e., either A or B in both Sem VII and Sem VIII semesters. .

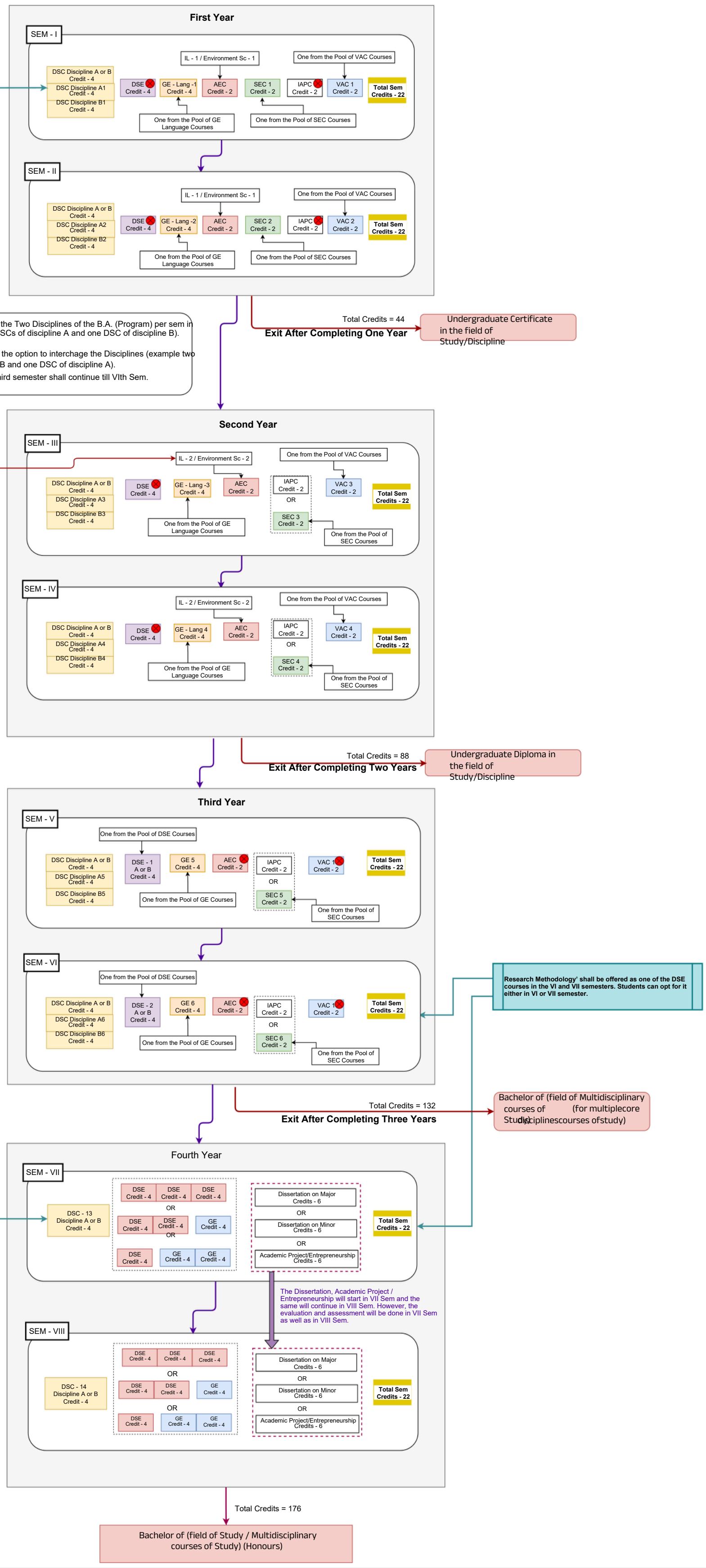


To pursue Four years Honours degree in B.A. (Program), student shall study in the fourth year, the discipline, in which he/she has studied at least 10 DSCs in the first three years.
Students will have to study the **Two** DSCs and upto **Six** DSEs in the chosen discipline in the VII and VIII semesters.

**Major and Minor** shall be awarded on fulfilment of the following conditions.
Major = 80 credits Minor = 28 credits

Example: If a student wishes to **Major** in Discipline A, then he/she should earn at least 80 credits in discipline A.
He/she should study Two DSCs, Six DSEs and write dissertation in VII and VIII semesters.
If the sum total of the DSCs and DSEs of Discipline A is less than 80 credits, then the credits earned in the dissertation written on a topic of Discipline A shall also be taken into consideration to complete the requisite 80 credits

For Example: A student pursues four years B.A. (Honours) in History. He/She shall get Major in History, on successful completion of VIII semester, if he/she earns Minimum 80 credits in History from : 14 DSCs + 8 DSEs = 88 Credits
14 DSCs + 7 DSEs = 84 Credits
14 DSCs + 6 DSEs = 80 Credits
14 DSCs + 5 DSEs + Dissertation = 88 Credits
14 DSCs + 4 DSEs + Dissertation = 84 Credits 14 DSCs + 3 DSEs + Dissertation = 80 Credits 12 DSCs + 8 DSEs = 80 Credits 12 DSCs + 7 DSEs + Dissertation = 88 Credits 12 DSCs + 6 DSEs + Dissertation = 84 Credits 12 DSCs + 5 DSEs + Dissertation = 80 Credits

*He/She shall get a Minor in Economics, if he/she earns minimum 28 credits from **Six** DSCs and **one** DSE..*

## Structure of B.Com (Program)

**DSC**: Discipline Specific Course
**DSE**: Discipline Specific Electives
**GE**: General Electives
**AEC**: Ability Enhancement Course
**IL** - Pool of Indian Languages in the 8th schedule of the Constitution
**SEC**: Skill Enhancement Course
**IAPC:** Internship/Apprenticeship / Project/ Community Outreach
**VAC:** Value Addition Course
● : Not Applicable

In B.Com students shall study DSCs of Commerce and Allied Disciplines such as Economics, Business Economics, Management etc.

**GE-1, GE-3 should be of one Language**
**GE - 2, GE - 4 should be of Language other than studied in GE-1 and GE-3.**
**At least one of the language should be Indian Language.**

**IL - 1 and IL - 2 should be of the same Language**

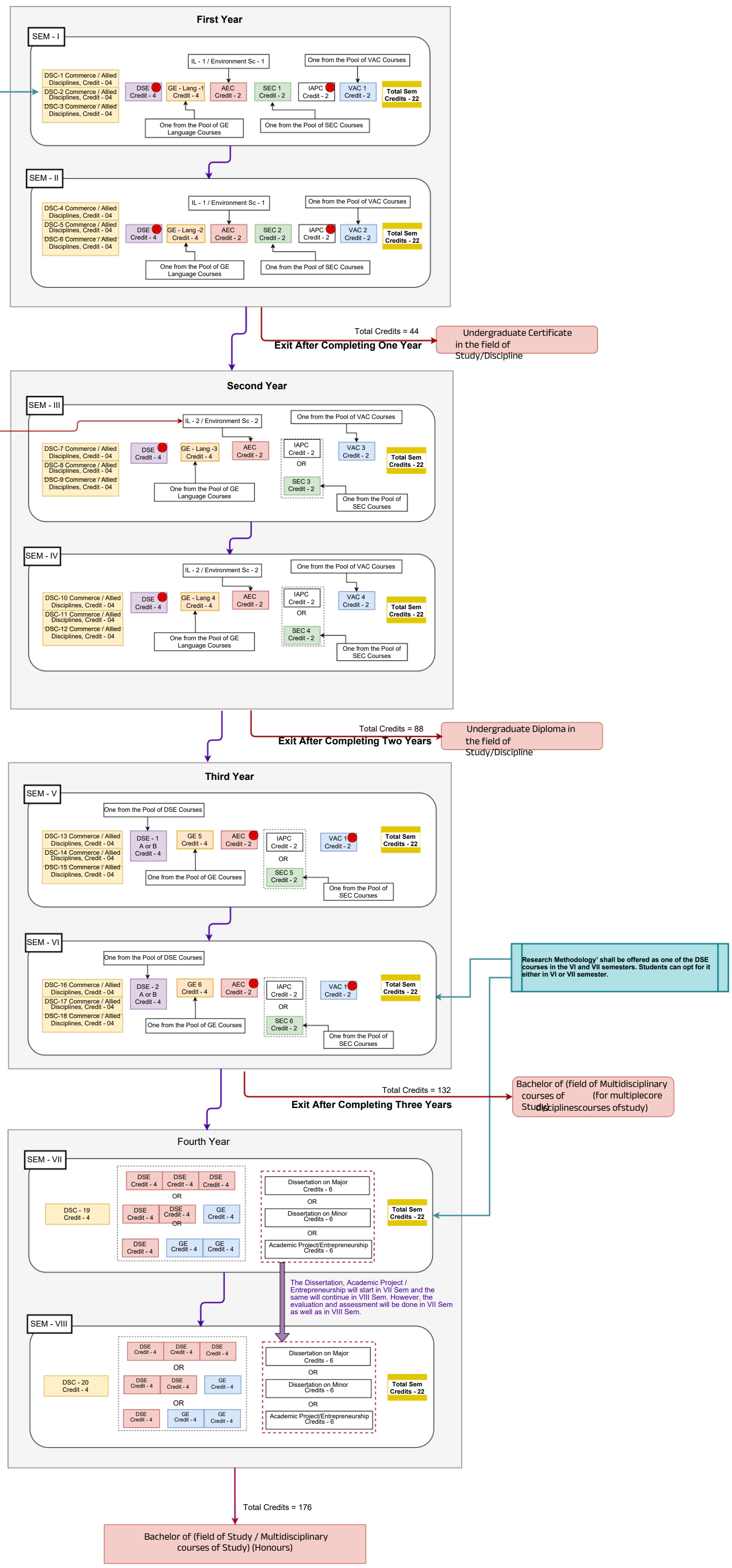


**Important note**: Students studying DSEs offered by any Discipline other than His/Her Core Discipline will be treated as GE for Him/Her.

To pursue Four years Honours degree in B.Com, student shall study in the fourth year, the discipline, in which he/she has studied at least 10 DSCs in the first three years.
Students will have to study the **Two** DSCs and upto **Six** DSEs in the chosen discipline in the VII and VIII semesters.

**Major and Minor** shall be awarded on fulfilment of the following conditions.
Major = 80 credits                Minor = 28 credits

Example: If a student wishes to **Major** in a particular Discipline, then he/she should earn at least 80 credits in that discipline.

He/she should study Two DSCs, Six DSEs and write dissertation in VII and VIII semesters in the chosen discipline.

# पूरक पाठ्यक्रम (ऐडऑन कोर्स)

| वित्त | भाषा |
|---|---|
| वित्तीय मॉडलिंग में उन्नत कार्यक्रम (100 घंटे) | Delhi (AFD) (108 Hours) |
| न्यू एज बैंकिंग में सर्टिफिकेट प्रोग्राम (50 घंटे) | Language for Beginners, Nippon Academy, Delhi (100hrs) |
| बिजनेस एनालिटिक्स प्रोग्राम (100 घंटे) | |
| **मानसिक स्वास्थ्य** | |
| मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन और बुनियादी परामर्श कौशल में व्यावहारिक प्रशिक्षण (30 घंटे) | |

नोट: ऊपर दिए गए संभावित पाठ्यक्रम नए शैक्षणिक सत्र 2025-26 से शुरू होंगे और ये छात्रों की पसंद और सीटों की उपलब्धता के अधीन होंगे।

**कौशल संवर्धन एवं अनुप्रयुक्त शिक्षण प्रकोष्ठ (अतिरिक्त पाठ्यक्रम प्रकोष्ठ)**
**डॉ. सुरजीत देब (अर्थशास्त्र विभाग): 9811256265**

**Email: addon@aryabhattacollege.ac.in**

# अगले वर्ष में उत्तीर्ण होने और पदोन्नति के मानदंड

**शैक्षणिक सत्र 2024-25 से आगे प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए, दिल्ली विश्वविद्यालय ने निम्नलिखित उत्तीर्ण/पदोन्नति मानदंड लागू करने का निर्णय लिया है -**

(i) अगले वर्ष में पदोन्नति के लिए पात्र होने हेतु छात्रों को प्रवेश पत्र के पीछे उल्लिखित शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करना होगा, जो संबंधित संकाय/विभाग/कॉलेज/केंद्र के डीन/प्रमुख/प्राचार्य द्वारा प्रमाणित हो।

(ii) अगले वर्ष में पदोन्नति के लिए छात्र को दोनों सेमेस्टर के कुल 44 क्रेडिट में से कम से कम 28 क्रेडिट प्राप्त करने होंगे। हालाँकि, खेल/पाठ्येतर गतिविधियों/एनसीसी/एनएसएस आदि में दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के अधीन इस आवश्यकता से छूट दी जा सकती है।

# आंतरिक और सतत मूल्यांकन के लिए विश्वविद्यालय अधिसूचना

**अध्यादेश VIII के अतिरिक्त**

[[ईसी संकल्प संख्या 60-1/ (60-1-13) दिनांक 03.02.2023] स्नातक पाठ्यचर्या रूपरेखा - 2022 पर आधारित पाठ्यक्रमों का मूल्यांकन पैटर्न शैक्षणिक वर्ष 2022-2023 से लागू किया जाएगा।

1. **यूजीसीएफ 2022 के तहत सक्षम प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों के मूल्यांकन के उद्देश्य से अपनाया जाने वाला मूल्यांकन पैटर्न निम्नानुसार होगा:**

   (a) किसी भी पाठ्यक्रम में जहाँ 01 क्रेडिट 'ट्यूटोरियल' को दिया जाता है, एक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन प्रक्रिया विकसित की जानी चाहिए क्योंकि किसी पाठ्यक्रम में छात्र द्वारा अर्जित क्रेडिट अंततः उस छात्र के अकादमिक क्रेडिट बैंक में जमा हो जाएगा। इसलिए, यह अनिवार्य है कि छात्र द्वारा अर्जित प्रत्येक क्रेडिट का पर्याप्त रूप से मूल्यांकन किया जाए और तदनुसार रिकॉर्ड किया जाए।

   (b) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, ट्यूटोरियल के घटकों को सूचीबद्ध किया गया है ताकि कम से कम इनमें से कुछ गतिविधियाँ (नीचे बिंदु संख्या 3 में सूचीबद्ध) छात्र द्वारा, शिक्षक के परामर्श से, इस उद्देश्य के लिए बनाए गए नियमों के अनुसार, चुनी जा सकें। आयोजित गतिविधियों का मूल्यांकन सतत मूल्यांकन के माध्यम से किया जाएगा।

      (i) ट्यूटोरियल के एक भाग के रूप में की जा सकने वाली कुछ गतिविधियाँ इस प्रकार हैं:

      साहित्य समीक्षा
      पुस्तक समीक्षा
      फ़िल्म समीक्षा
      परियोजना गतिविधि (समूह)
      शोध सह प्रस्तुति
      रचनात्मक लेखन/प्रलेख लेखन
      समूह चर्चा
      समस्या समाधान अभ्यास कोई भी रचनात्मक कार्य (समूह में किया जा सकता है)
      अभिनव परियोजना
      संकल्पनात्मक समझ के अनुप्रयोग से संबंधित कोई अन्य शैक्षणिक कार्य

(ii) इसके अलावा, ट्यूटोरियल के सतत मूल्यांकन के लिए आवंटित चालीस अंकों में से पांच अंक उपस्थिति के लिए होंगे, जो निम्नानुसार वितरित किए जाएंगे:

a. 67% से अधिक लेकिन 70% से कम उपस्थिति –1 mark
b. 70% से अधिक लेकिन 75% से कम उपस्थिति –2 marks
c. 75% से अधिक लेकिन 80% से कम उपस्थिति –3 marks
d. 80% से अधिक लेकिन 85% से कम उपस्थिति –4 marks
e. 85% से अधिक उपस्थिति –5 marks

प्रैक्टिकल के लिए सतत मूल्यांकन में उपस्थिति के लिए अंक नहीं दिए जाएंगे।

2. (i) आंतरिक मूल्यांकन (IA) में कक्षा परीक्षाओं, असाइनमेंट/प्रस्तुतियों और उपस्थिति में प्राप्त अंक शामिल होंगे। उदाहरण के लिए, 25 अंकों के आंतरिक मूल्यांकन के लिए, कक्षा परीक्षाओं में 10 अंक, असाइनमेंट/प्रस्तुतियों में 10 अंक और उपस्थिति में 5 अंक होंगे। इसी प्रकार, 30 अंकों के IA के लिए, 6 अंक उपस्थिति के लिए, 12 अंक कक्षा परीक्षाओं के लिए और 12 अंक असाइनमेंट/प्रस्तुतियों के लिए होंगे। उपस्थिति के लिए छह अंक इस प्रकार वितरित किए जाएँगे:

(ii) a. 67% से अधिक लेकिन 70% से कम उपस्थिति – 1.2 marks
b. 70% से अधिक लेकिन 75% से कम उपस्थिति – 2.4 marks
c. 75% से अधिक लेकिन 80% से कम उपस्थिति – 3.6 marks
d. 80% से अधिक लेकिन 85% से कम उपस्थिति – 4.8 marks
e. 85% से अधिक उपस्थिति – 6.0 marks

3. (i) आंतरिक मूल्यांकन और सतत मूल्यांकन को निष्पक्ष और उचित बनाने के लिए, प्रत्येक महाविद्यालय में आंतरिक मूल्यांकन के लिए निगरानी समिति को मजबूत करना आवश्यक है, जिसका गठन विश्वविद्यालय के अध्यादेशों के अध्यादेश VIII-E के खंड 5 (ii) के अनुसार किया गया है। यह समिति महाविद्यालय में आंतरिक मूल्यांकन की संपूर्ण प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार होगी, जिसमें शिकायतों का निवारण, यदि कोई हो, भी शामिल है।

(ii) यही समिति सतत मूल्यांकन की प्रक्रिया की भी जांच करेगी और शिकायतों का निवारण, यदि कोई हो, करेगी। कोई छात्र जो महाविद्यालय की आंतरिक मूल्यांकन के लिए निगरानी समिति द्वारा लिए गए निर्णय से असंतुष्ट है, उसके द्वारा आंतरिक मूल्यांकन/सतत मूल्यांकन से संबंधित प्रस्तुत की गई शिकायत के संबंध में, महाविद्यालय के प्राचार्य, विभाग के प्रभारी शिक्षक/वरिष्ठ संकाय सदस्य, संबंधित शिक्षक से मिलकर बने अपीलीय निकाय के समक्ष अपील दायर कर सकता है।
जिसने पीड़ित छात्र का मूल्यांकन किया है और इसकी अध्यक्षता कॉलेज के डीन या दक्षिण दिल्ली परिसर के निदेशक द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा की जाएगी, जिसके अधिकार क्षेत्र में संबंधित कॉलेज आता है।

4. सैद्धांतिक परीक्षा और आंतरिक मूल्यांकन, सैद्धांतिक और ट्यूटोरियल कक्षाओं में किए गए शिक्षण-अधिगम का संचयी मूल्यांकन होगा। विभिन्न क्रेडिट वितरण वाले पाठ्यक्रमों के लिए मूल्यांकन पैटर्न तालिका-1 में दिया गया है। कुल चार क्रेडिट वाले पाठ्यक्रमों के लिए प्रायोगिक अंकों में निम्नलिखित शामिल होंगे:

5. (i) सतत मूल्यांकन (25%),

   (ii) अंतिम सत्र की व्यावहारिक परीक्षा (50%) और

   (iii) मौखिक परीक्षा (25%)।

6. **कुल दो क्रेडिट के पाठ्यक्रमों के लिए व्यावहारिक अंकों में शामिल होंगे**

   (i) सतत मूल्यांकन (25%),

   (ii) अंतिम सत्र व्यावहारिक/लिखित परीक्षा (50%) और

   (iii) मौखिक परीक्षा (25%)

7. एलटीपी संरचना के विभिन्न संयोजनों में कुल अंकों के विचरण को अंकों को ग्रेड में परिवर्तित करने के लिए एक उचित रूप से तैयार किए गए सूत्र के माध्यम से गणना किए गए "भारित औसत" की सहायता से संरेखित किया जाएगा।

8. "निरंतर मूल्यांकन पद्धति के लिए उपस्थिति की आवश्यकता विश्वविद्यालय के अध्यादेशों के अध्यादेश VII के अनुसार होगी।"

9. छात्रों को अपने ग्रेड सुधारने में सक्षम बनाने के लिए निम्नलिखित को अपनाया जा सकता है:

| पाठ्यक्रम/पेपर में प्राप्त ग्रेड | थियोरी में प्राप्त ग्रेड | प्रैक्टिकल/ ट्यूटोरियल में प्राप्त ग्रेड | पुनः पंजीकृत | ग्रेड में सुधार के लिए कार्यवाही |
|---|---|---|---|---|
| F से अधिक | Not Satisfied* | Satisfied | नहीं | आवश्यक के लिए उस पाठ्यक्रम/पेपर की अंतिम सत्र की सैद्धांतिक परीक्षा में शामिल होना |
| F से अधिक | Not Satisfied* | Satisfied | नहीं | सुधार के लिए उस पाठ्यक्रम/पेपर की अंतिम सत्र की सैद्धांतिक परीक्षा में शामिल होना |
| F से अधिक | Not Satisfied (IA Marks satisfied) | Satisfied | नहीं | सुधार के लिए उस पाठ्यक्रम/पेपर की अंतिम सत्र की सैद्धांतिक परीक्षा में शामिल होना |
| F से अधिक | Not Satisfied including IA | Satisfied | हाँ | पाठ्यक्रम में शामिल होना और IA और सुधार के लिए अंतिम सत्र की सैद्धांतिक परीक्षा में शामिल होना |
| F से अधिक | Satisfied | Not Satisfied* | हाँ | पाठ्यक्रम में शामिल होना और सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों परीक्षाओं में शामिल होना अपने CA और IA के साथ सुधार के लिए। |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| F | Satisfied | Not Satisfied* | हाँ | पाठ्यक्रम में भाग लें और आवश्यक पुनरावृत्ति के लिए अपने सीए और आईए के साथ सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों परीक्षाओं में उपस्थित हों। |
| F | Not Satisfied* | Not Satisfied* | हाँ | पाठ्यक्रम में भाग लें और आवश्यक पुनरावृत्ति के लिए अपने सीए और आईए के साथ सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों परीक्षाओं में उपस्थित हों। |

संतुष्ट न होने का अर्थ है सिद्धांत/प्रैक्टिकल के लिए निर्धारित उत्तीर्ण अंकों से कम ग्रेड।

10. 2022-2023 में स्नातक करने वाले छात्रों के लिए अंकों का अंतिम प्रतिशत (%) ग्रैंड सीजीपीए (संचयी ग्रेड प्वाइंट औसत) को 10 के कारक से गुणा करके गणना की जाएगी।

**TABLE-1**

| Total Credits | L | T | P | End term Theory Exam marks | Internal Assessment (IA) marks | Total of theory exam and IA | Duration of theory exam | Tutorial | Practical marks | | | | Grand Total marks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | CA | CA | End term practical/ written exam | Viva- voce | Total | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 90 | 30 | 120 | 3 hours | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 90 | 30 | 120 | 3 hours | 0 | 10 | 20 | 10 | 40 | 160 |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | NA | 0 | 40 | 80 | 40 | 160 | 160 |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 30 | 10 | 40 | 1 hour | 0 | 30 | #60 | 30 | 120 | 160 |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 60 | 20 | 80 | 2 hours | 0 | 20 | 40 | 20 | 80 | 160 |
| 2* | 1 | 0 | 1 | 30 | 10 | 40 | 1 hour | 0 | 10 | 20** | 10 | 40 | 80 |
| 2* | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | NA | 0 | 20 | 40** | 20 | 80 | 80 |
| 2* | 2 | 0 | 0 | 60 | 20 | 80 | 2 hours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |

2 क्रेडिट के एईसी, एसईसी और वीएसी पाठ्यक्रमों के मूल्यांकन मानदंड समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार होंगे।

# विश्वविद्यालय अधिसूचना: छात्रों का चौथे वर्ष UGCF 2022 में प्रवेश

अधिसूचना संख्या Acad.-I/NEP/UGCF/2025/194 दिनांक 01.05.2025 के अनुसार,
दिल्ली विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2022-2023 से स्नातक पाठ्यक्रम रूपरेखा 2022 (UGCF 2022) के अनुसार स्नातक कार्यक्रमों के माध्यम से स्नातक स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP2020) को लागू किया है।
UGCF 2022 में यह परिकल्पना की गई है कि NEP 2020 के अंतर्गत स्नातक कार्यक्रम 4 वर्ष की अवधि के होंगे जिसमें बहु-प्रवेश और बहु-निकास की अंतर्निहित सुविधा होगी।
यूजीसीएफ 2022 के अंतर्गत नामांकित सभी छात्र शैक्षणिक सत्र 2025-2026 से अपने संबंधित शैक्षणिक कार्यक्रमों के चौथे वर्ष में सेमेस्टर VII में प्रवेश लेंगे। इस संबंध में, यह रेखांकित किया जाता है कि यूजीसीएफ 2022 के अंतर्गत नामांकित छात्र की सेमेस्टर VI से सेमेस्टर VII तक की प्रगति सार्वभौमिक है, जो समय-समय पर लागू पदोन्नति नियमों के अधीन है, और किसी भी तरह से प्रतिबंधात्मक नहीं है। इसके अलावा, अधिसूचना संख्या Acad.I/2025-26/R-4604, दिनांक 03.07.2025 में, दिल्ली विश्वविद्यालय ने तीसरे वर्ष के बाद बाहर निकलने का विकल्प चुनने वाले छात्रों के लिए प्रक्रिया निर्धारित की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के आधार पर 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम रूपरेखा 2022 में नामांकित और सफलतापूर्वक 6 सेमेस्टर (3 वर्ष) पूरे करने वाले छात्र, मल्टी-कोर अनुशासन कार्यक्रमों के लिए 3 वर्षीय डिग्री और सिंगल कोर अनुशासन कार्यक्रमों के लिए ऑनर्स डिग्री के साथ, जैसा लागू हो, कार्यक्रम से बाहर निकलने का अपना इरादा प्रस्तुत करने के पात्र हैं।
उपरोक्त विकल्प का लाभ उठाने के इच्छुक छात्र विश्वविद्यालय के छात्र पोर्टल https://slc.uod.ac.in पर लॉग इन कर सकते हैं और निर्दिष्ट ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से अपना इरादा प्रस्तुत कर सकते हैं। विश्वविद्यालय पात्र छात्रों को यह निर्णय लेने से पहले अपने शैक्षणिक और करियर लक्ष्यों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
और सूचित निर्णय लेने को सुनिश्चित करने के लिए अपने शिक्षकों और आकाओं से परामर्श करने की सलाह देता है। यह पहल एनईपी 2020 के उच्च शिक्षा में कई प्रवेश और निकास बिंदु प्रदान करने पर जोर देने के अनुरूप है, जो छात्रों को उनके शैक्षिक मार्गों पर बढ़ी हुई स्वायत्तता प्रदान करती है।

# नियम और विनियम

**अवकाश विनियम**

- कॉलेज से छुट्टी केवल बीमारी या तत्काल आवश्यकता के मामले में ही दी जाती है।
- अत्यावश्यक मामले में, छात्रों को पहले से छुट्टी की मंजूरी लेनी होगी। छुट्टी लेने के लिए,
- आवेदन प्राचार्य को पाँच दिन पहले जमा करना होगा और वापसी पर सहायक दस्तावेज़ (अर्थात चिकित्सा अवकाश के मामले में चिकित्सा प्रमाणपत्र और स्वास्थ्य प्रमाणपत्र) किसी योग्य चिकित्सक से प्रस्तुत करना होगा। किसी भी स्थिति में, छुट्टी पर जाने के एक सप्ताह के भीतर कॉलेज को सूचित किया जाना चाहिए।
- किसी विशेष व्याख्यान/अवधारणा/ट्यूटोरियल कक्षाओं आदि से छुट्टी संबंधित शिक्षक से प्राप्त की जानी चाहिए।
- नियमितता के लिए दिए जाने वाले अंकों की गणना करते समय चिकित्सा प्रमाणपत्र का लाभ नहीं दिया जाता है। हालाँकि, परीक्षाओं में उपस्थित होने के लिए उपस्थिति की गणना के उद्देश्य से चिकित्सा प्रमाणपत्रों को ध्यान में रखा जाता रहेगा।
- अध्यादेश VII में सूचीबद्ध गतिविधियों में भाग लेने वाले छात्र को कक्षा परीक्षा, लिखित असाइनमेंट, प्रोजेक्ट आदि से संबंधित शर्तों को भी पूरा करना होगा। इसके अलावा, कुल संख्या की गणना करते समय। प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में अपने अध्ययन पाठ्यक्रम के लिए कॉलेज में दिए गए व्याख्यानों की संख्या, उस उद्देश्य के लिए अनुपस्थिति की अवधि के दौरान दिए गए प्रत्येक विषय में व्याख्यानों आदि की संख्या को ध्यान में नहीं रखा जाएगा [आदेश, VII.2. (9)(a)(i)]। उन्हें अध्यादेश VII.2.(9)(a)(1) के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार छूटी हुई कक्षाओं के लिए आंतरिक मूल्यांकन हेतु उपस्थिति का लाभ मिलेगा।

**अटेंडेंस के नियम**

**चार साल के अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन लेने वाले छात्रों के लिए:**

1. सेमेस्टर I/III/V/VII परीक्षा के लिए किसी अभ्यर्थी को उपस्थिति की आवश्यक शर्तों को पूरा करने वाला तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि उसने सभी विषयों में कुल मिलाकर कम से कम दो-तिहाई व्याख्यान/प्रयोगात्मक/प्रस्तुति/ट्यूटोरियल में भाग न लिया हो।

   बशर्ते कि सेमेस्टर I/III/V/VII का कोई छात्र जो उपरोक्त उपस्थिति की आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं करता है, लेकिन संबंधित सेमेस्टर के दौरान सभी विषयों में कुल मिलाकर कम से कम 40 प्रतिशत व्याख्यान/प्रयोगात्मक/प्रस्तुति/ट्यूटोरियल में भाग लिया हो, वह संबंधित कॉलेज के प्राचार्य के विवेक पर आगामी सेमेस्टर परीक्षा में उपस्थित हो सकता है; लेकिन ऐसे अभ्यर्थी को उसी शैक्षणिक वर्ष के अगले सेमेस्टर में व्याख्यान और प्रयोगात्मक में कमी को पूरा करना होगा। बशर्ते कि द्वितीय/चतुर्थ/छठे सेमेस्टर का कोई छात्र जो उपरोक्त उपस्थिति की आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं करता है, लेकिन उसने संबंधित सेमेस्टर के दौरान आयोजित व्याख्यान/प्रैक्टिकल/प्रस्तुति/ट्यूटोरियल के कम से कम 40 प्रतिशत विषयों में भाग लिया हो, उसे संबंधित कॉलेज के प्राचार्य के विवेक पर अंतिम सेमेस्टर में उपस्थित होने की अनुमति दी जा सकती है।

परीक्षा में शामिल होने की अनुमति तभी दी जाएगी जब वह पिछले सेमेस्टर की उपस्थिति को आगामी सेमेस्टर में मिलाकर उक्त उपस्थिति की कमी को पूरा करेगा।
इसके अलावा, संबंधित कॉलेज के प्रधानाचार्य किसी छात्र को परीक्षा में बैठने की अनुमति दे सकते हैं, भले ही छात्र ने उपस्थिति की आवश्यकता पूरी नहीं की हो, यदि प्रधानाचार्य की राय में, ऐसा छात्र आगामी शैक्षणिक वर्ष में कमी को पूरा करेगा।
इसके अलावा, IV/VI/VIII सेमेस्टर का कोई छात्र जो डिप्लोमा/ स्नातक डिग्री/स्नातक ऑनर्स/बी.टेक डिग्री के साथ उत्तीर्ण होना चाहता है, उसे IV/VI/VIII सेमेस्टर परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी, जैसा भी मामला हो, यदि दो/तीन/चार शैक्षणिक वर्षों की उपस्थिति को मिलाकर, उम्मीदवार ने संबंधित वर्षों के दौरान आयोजित सभी विषयों में दो-तिहाई उपस्थिति दर्ज की हो।

## तीन वर्षीय स्नातक कार्यक्रम में प्रवेश पाने वाले छात्रों के लिए

1. सेमेस्टर I/III/V परीक्षा के लिए किसी अभ्यर्थी को उपस्थिति की आवश्यक शर्तों को पूरा करने वाला तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि उसने सभी विषयों में सम्मिलित रूप से कम से कम दो-तिहाई व्याख्यान/प्रयोगात्मक/ प्रस्तुति/ट्यूटोरियल में भाग न लिया हो।

   बशर्ते कि सेमेस्टर I/III/V का कोई विद्यार्थी जो उपरोक्त उपस्थिति की आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं करता है, लेकिन उसने संबंधित सेमेस्टर के दौरान सभी विषयों में सम्मिलित रूप से कम से कम 40 प्रतिशत व्याख्यान/ प्रयोगात्मक/प्रस्तुति में भाग लिया हो, वह संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य के विवेकानुसार आगामी सेमेस्टर परीक्षा में उपस्थित हो सकता है; लेकिन ऐसे अभ्यर्थी को उसी शैक्षणिक वर्ष के अगले सेमेस्टर में व्याख्यान और प्रयोगिक में कमी को पूरा करना होगा। बशर्ते कि द्वितीय/चतुर्थ/छठे सेमेस्टर का कोई छात्र जो उपरोक्त उपस्थिति की आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं करता है, लेकिन उसने संबंधित सेमेस्टर के दौरान आयोजित सभी विषयों में कुल मिलाकर कम से कम 40 प्रतिशत व्याख्यान/प्रयोगात्मक/प्रस्तुति/ट्यूटोरियल में भाग लिया है, उसे संबंधित कॉलेज के प्राचार्य के विवेक पर आगामी परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते कि वह पिछले सेमेस्टर की उपस्थिति को आगामी सेमेस्टर में मिलाकर उक्त उपस्थिति की कमी को पूरा कर ले।
   इसके अलावा, संबंधित कॉलेज का प्राचार्य किसी छात्र को परीक्षा में बैठने की अनुमति दे सकता है, भले ही उसने उपस्थिति की आवश्यकता पूरी न की हो, यदि प्राचार्य की राय में ऐसा छात्र आगामी शैक्षणिक वर्ष में इस कमी को पूरा कर लेगा।
   बशर्ते कि छठे सेमेस्टर के छात्र को छठे सेमेस्टर की परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी, यदि तीन शैक्षणिक वर्षों की उपस्थिति को मिलाकर, उम्मीदवार ने संबंधित वर्षों के दौरान आयोजित सभी विषयों में दो-तिहाई उपस्थिति दर्ज की हो।

## विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने वाले छात्रों के लिए

1. ऐसे छात्र के मामले में जिसे वार्षिक एन.सी.सी. शिविरों में भाग लेने के लिए एन.सी.सी. के सदस्य के रूप में चुना गया हो या नागरिक सुरक्षा कार्य और संबद्ध कर्तव्यों के लिए प्रतिनियुक्त किया गया हो

2. राष्ट्रीय सेवा योजना में नामांकित है और संबंधित विभाग के प्राचार्य/प्रमुख द्वारा या उनके अनुमोदन से विभिन्न सार्वजनिक कार्यों के लिए प्रतिनियुक्त किया गया है; या
3. पाठ्यचर्या गतिविधियों (सीए) के भाग के रूप में खेलों में भाग लेने के लिए चुना गया है; या
4. दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित अंतर महाविद्यालय टूर्नामेंटों में कॉलेज का प्रतिनिधित्व करता है, या
दिल्ली विश्वविद्यालय खेल परिषद (डीयूएससी) द्वारा आयोजित दिल्ली विश्वविद्यालय टीम शिविर के कोचिंग शिविर के लिए चयनित छात्र है, या
राष्ट्रीय खेल महासंघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में दिल्ली राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाला छात्र है, या
भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित टूर्नामेंटों में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाला छात्र है, या
अंतर्राष्ट्रीय महासंघों/संघों और एफआईएसयू द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला छात्र है, (एआईयू के माध्यम से चयन), या
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा आयोजित ओलंपिक/राष्ट्रमंडल खेलों/युवा खेलों/
विश्व चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला छात्र है, या
सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खेलों में राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में; या
अंतर-विश्वविद्यालय युवा महोत्सव में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने की आवश्यकता है; या
5. प्रादेशिक सेना में आवधिक प्रशिक्षण में भाग लेने की आवश्यकता है या एक छात्र
जिसे कॉलेज द्वारा अंतर-कॉलेज खेलकूद या प्रतियोगिताओं, वाद-विवाद,
6. सेमिनार, संगोष्ठी या सामाजिक कार्य परियोजनाओं में भाग लेने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया है या एक छात्र
जिसे अन्य विश्वविद्यालयों में आयोजित पाठ्यचर्या गतिविधियों या अन्य विश्वविद्यालयों में आयोजित ऐसी अन्य गतिविधियों या इस उद्देश्य के लिए प्राचार्य/प्रमुख द्वारा अनुमोदित ऐसी अन्य गतिविधियों में भाग लेने की आवश्यकता है।
कॉलेज में, या विश्वविद्यालय में, जैसा भी मामला हो, प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में उसके अध्ययन पाठ्यक्रम के लिए दिए गए व्याख्यानों आदि की कुल संख्या की गणना में। अनुपस्थिति की अवधि के दौरान दिए गए प्रत्येक विषय में व्याख्यानों आदि की संख्या और
उपरोक्त उद्देश्य के लिए प्राचार्य/प्रमुख द्वारा अनुमोदित, छात्र द्वारा उपस्थित मानी जाएगी।

c) कॉलेज के प्रिंसिपल, मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर, उन स्टूडेंट्स के बहुत मुश्किल मामलों पर विचार कर सकते हैं जो साल के दौरान गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे या उनका एक्सीडेंट हो गया था, जिससे वे कुछ समय के लिए क्लास अटेंड नहीं कर पाए। ऐसा यह तय करने के लिए किया जाएगा कि उस समय के दौरान दिए गए लेक्चर वगैरह, या उसका कुछ हिस्सा, साल की अटेंडेंस की कैलकुलेशन के मकसद से हटाया जा सकता है या नहीं, और हर मामले का फैसला उसकी खूबियों के आधार पर किया जाएगा।

d) एक कॉलेज एकेडमिक साल के आखिरी सेशन में क्लास खत्म होने के पांच दिनों के अंदर अपने नोटिस बोर्ड और कॉलेज की वेबसाइट पर अपने हर स्टूडेंट की फाइनल अटेंडेंस की जानकारी देगा। इसके पांच दिन बाद तक, एक स्टूडेंट कॉलेज के प्रिंसिपल को एप्लीकेशन देकर, ऊपर दिए गए सब-क्लॉज (c) के तहत लेक्चर हटाने का फायदा क्लेम कर सकता है, जिसके लिए उसे कारण बताने होंगे और संबंधित डॉक्यूमेंट्स भी साथ लगाने होंगे। समय पर सबमिट की गई ऐसी सभी एप्लीकेशन पर कॉलेज के प्रिंसिपल द्वारा एग्जाम शुरू होने से कम से कम 3 दिन पहले विचार किया जाएगा और उनका निपटारा किया जाएगा, जिस एग्जाम में स्टूडेंट शामिल होना चाहता है।

e) ऊपर पैरा (c) में बताए गए लेक्चर को छोड़ने का फ़ायदा, किसी भी हाल में दिए गए कुल लेक्चर/प्रैक्टिकल/प्रेजेंटेशन/ट्यूटोरियल की संख्या के 1/3 से ज़्यादा नहीं होगा।

(f) अगर कोई शादीशुदा महिला स्टूडेंट मैटरनिटी लीव पर है, तो कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, जैसा भी मामला हो, उसके हर सेमेस्टर के कोर्स के लिए दिए गए कुल लेक्चर की संख्या गिनते समय, उसकी मैटरनिटी लीव के दौरान हर सब्जेक्ट में दिए गए लेक्चर की संख्या को ध्यान में नहीं रखा जाएगा।

(g) किसी भी व्यक्ति को तब तक अपनी पढ़ाई के संबंध में ज़रूरी शर्तें पूरी करने वाला नहीं माना जाएगा, जब तक कि अटेंडेंस और दूसरी शर्तों के अलावा, वह अपने कॉलेज के प्रिंसिपल द्वारा अपनी मर्ज़ी से लिए गए टेस्ट, लिखित और/या मौखिक, में शामिल न हो और अपने परफॉर्मेंस से प्रिंसिपल को संतुष्ट न कर दे। कॉलेज के प्रिंसिपल के पास यह पावर होगी, और हमेशा यह माना जाएगा कि उनके पास यह पावर थी, कि वे किसी स्टूडेंट को उसी क्लास में रोक सकते हैं जिसमें वह पढ़ रहा है, या उसे यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए न भेजें, अगर वह ऊपर बताए गए टेस्ट में शामिल नहीं हुआ या उसका परफॉर्मेंस संतोषजनक नहीं था।

कॉलेज के प्रिंसिपल/इंस्टीट्यूशन के हेड के पास ऐसे स्टूडेंट का नाम लिस्ट से हटाने का अधिकार होगा जो चेतावनी के बावजूद अटेंडेंस में बहुत ज़्यादा अनियमित है, या जब स्टूडेंट इतने लंबे समय तक अनुपस्थित रहता है कि वह ज़रूरी अटेंडेंस परसेंटेज पूरा नहीं कर पाता है।

# अनुशासन नीति

1) कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हर स्टूडेंट को कॉलेज में रहने के दौरान कॉलेज के अंदर और बाहर डिसिप्लिन और अच्छा व्यवहार बनाए रखना ज़रूरी है। किसी भी तरह की अनुशासनहीनता के लिए स्टूडेंट पर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है। डिसिप्लिनरी एक्शन में वॉर्निंग, फाइन और/या क्लास से या कॉलेज से सस्पेंशन भी शामिल हो सकता है (यूनिवर्सिटी का ऑर्डिनेंस XV (B) और XV(C))।

2) स्टूडेंट्स को सभ्य और इज़्ज़तदार तरीके से पेश आना चाहिए और कॉलेज कम्युनिटी के किसी भी हिस्से के साथ किसी भी तरह का बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। बदतमीज़ी और/या भाषा से सख्ती से निपटा जाएगा।

3) किसी भी तरह की हिंसा, रैगिंग और किसी भी तरह के सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए कड़ी सज़ा दी जाएगी। ऊपर बताई गई बातों की शिकायत प्रिंसिपल, डिसिप्लिन कमिटी के मेंबर या सेक्सुअल हैरेसमेंट के खिलाफ कमिटी के मेंबर से की जा सकती है।

4) स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे अपने साथ कॉलेज कैंपस में बाहरी लोगों को न लाएं। अगर कोई बाहरी व्यक्ति अनुशासन तोड़ने वाली एक्टिविटी में शामिल पाया जाता है, तो उसे हमेशा पुलिस को सौंप दिया जाएगा और ऐसे बाहरी लोगों को कॉलेज कैंपस में लाने वाले स्टूडेंट के खिलाफ सख्त डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा।

5) स्टूडेंट्स क्लासरूम में शांति बनाए रखेंगे और गलत व्यवहार नहीं करेंगे। उन्हें कॉरिडोर या क्लासरूम के सामने नहीं घूमना चाहिए। अपने खाली समय में, स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे लाइब्रेरी में काम करें, या बिना किसी परेशानी के कॉमन रूम में समय बिताएं।

6) स्टूडेंट कॉलेज के फर्नीचर और फिक्स्चर का ठीक से ध्यान रखेंगे। उन्हें कॉलेज की प्रॉपर्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए।

7) स्टूडेंट्स को कॉलेज कैंपस (पार्किंग की जगह सहित) में अपनी कार पार्क करने की इजाज़त नहीं है। हालांकि, स्टूडेंट्स को अपने स्कूटर/मोटरसाइकिल सिर्फ़ इस मकसद के लिए दी गई पार्किंग की जगह पर ही पार्क करने की इजाज़त है।

- **यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स में अनुशासन बनाए रखना**

1. अनुशासन और डिसिप्लिनरी एक्शन से जुड़ी सभी पावर वाइस-चांसलर के पास हैं। वाइस-चांसलर प्रॉक्टर और ऐसे दूसरे लोगों को, जिन्हें वे इस बारे में बता सकते हैं, सभी या ऐसी पावर दे सकते हैं, जिन्हें वे सही समझें।

ऑर्डिनेंस के तहत अनुशासन लागू करने की पावर की आम बात पर कोई असर डाले बिना, ये काम घोर अनुशासनहीनता माने जाएंगे:

a. किसी भी इंस्टीट्यूशन/डिपार्टमेंट के टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टाफ के किसी भी सदस्य और दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी स्टूडेंट के खिलाफ मारपीट, या शारीरिक बल इस्तेमाल करने की धमकी देना।

b. किसी भी हथियार को साथ रखना, इस्तेमाल करना, या इस्तेमाल करने की धमकी देना।

c. सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट, 1976 के प्रावधानों का कोई भी उल्लंघन।

d. अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों की स्थिति, गरिमा और सम्मान का उल्लंघन।

महिलाओं के प्रति कोई भी अपमानजनक व्यवहार - चाहे मौखिक हो या किसी और तरह से।

e. किसी भी तरह से रिश्वत देने या भ्रष्टाचार करने की कोई भी कोशिश।

f. संस्थान की संपत्ति को जानबूझकर नुकसान पहुंचाना।

g. धार्मिक या सांप्रदायिक आधार पर दुर्भावना या असहिष्णुता पैदा करना।

h. यूनिवर्सिटी सिस्टम के एकेडमिक कामकाज में किसी भी तरह से रुकावट डालना;

3. अनुशासन बनाए रखने और अनुशासन बनाए रखने के हित में ऐसी कार्रवाई करने से संबंधित अपनी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो उन्हें उचित लगे, कुलपति, अपने पूर्वोक्त आदेश के प्रयोग में या निर्देश दे सकते हैं कि कोई भी छात्र या छात्र:

a. न्हें निकाल दिया जाए; या

b. किसी छात्र या छात्रों को, तय समय के लिए, कॉलेज से निकाल दिया जाए; या

c. उन्हें, तय समय के लिए, यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज, डिपार्टमेंट या संस्थान में किसी कोर्स में एडमिशन न दिया जाए; या

d. उन पर तय रकम का जुर्माना लगाया जाए; या

e. उन्हें एक या ज़्यादा सालों के लिए यूनिवर्सिटी या कॉलेज या डिपार्टमेंटल एग्जाम देने से रोक दिया जाए; या

f. जिस एग्जाम में संबंधित छात्र या छात्रों ने हिस्सा लिया है, उसका रिजल्ट कैंसिल कर दिया जाए।

4. कॉलेज के प्रिंसिपल, हॉल्स के हेड, फैकल्टी के डीन, यूनिवर्सिटी में टीचिंग डिपार्टमेंट के हेड, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के प्रिंसिपल और लाइब्रेरियन को अपने-अपने कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, फैकल्टी और यूनिवर्सिटी के टीचिंग डिपार्टमेंट में स्टूडेंट्स पर सभी ज़रूरी डिसिप्लिनरी पावर का इस्तेमाल करने का अधिकार होगा, जो इंस्टीट्यूशन, हॉल और संबंधित डिपार्टमेंट में टीचिंग के सही संचालन के लिए ज़रूरी हो सकता है। वे अपने कॉलेज, इंस्टीट्यूशन या डिपार्टमेंट के ऐसे टीचर्स के ज़रिए अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या उन्हें अथॉरिटी सौंप सकते हैं, जिन्हें वे इन कामों के लिए तय करें।

5. वाइस चांसलर और प्रॉक्टर की ऊपर बताई गई पावर पर बिना किसी असर के, डिसिप्लिन और सही आचरण के विस्तृत नियम बनाए जाएंगे। इन नियमों को, जहाँ ज़रूरी हो, कॉलेजों के प्रिंसिपल, हॉल्स के हेड, फैकल्टी के डीन और इस यूनिवर्सिटी के टीचिंग डिपार्टमेंट के हेड द्वारा सप्लीमेंट किया जा सकता है। हर स्टूडेंट से इन नियमों की एक कॉपी अपने पास रखने की उम्मीद की जाएगी।

एडमिशन के समय, हर स्टूडेंट को एक डिक्लेरेशन साइन करना होगा कि एडमिशन के बाद वे यूनिवर्सिटी के डिसिप्लिनरी ज्यूरिस्डिक्शन को मानते हैं, जिसे एक्ट्स, स्टैच्यूट्स, ऑर्डिनेंस और यूनिवर्सिटी द्वारा बनाए गए नियमों के तहत डिसिप्लिन लागू करने का अधिकार है। मोबाइल फोन का इस्तेमाल क्लासरूम/लाइब्रेरी/कॉरिडोर/लैब में मोबाइल फोन का इस्तेमाल सख़्ती से मना है। जो भी स्टूडेंट इस नियम को तोड़ता हुआ पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना लगाया जाएगा।

# रैगिंग - निषेध और सज़ा

अध्यादेश XV-C

रैगिंग के खतरे को रोकने के लिए अपने सबसे सख्त कदमों में, सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए सज़ा तय की है। अगर सीनियर्स या किसी दूसरे स्टूडेंट द्वारा फ्रेशर्स को फिजिकली या मेंटली परेशान किया जाता है, तो ऐसे स्टूडेंट्स के खिलाफ पुलिस केस दर्ज करेगी (F.I.R. रजिस्टर करके), उन्हें कॉलेज से निकाल दिया जाएगा और भविष्य में एडमिशन भी नहीं मिलेगा।

1) कॉलेज/विभाग या संस्थान परिसर और दिल्ली विश्वविद्यालय प्रणाली के किसी भी भाग के साथ-साथ सार्वजनिक परिवहन में किसी भी रूप में रैगिंग सख्त वर्जित है।

2) रैगिंग का कोई भी व्यक्तिगत या सामूहिक कृत्य या अभ्यास घोर अनुशासनहीनता है और इस अध्यादेश के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।

3) इस अध्यादेश के प्रयोजनों के लिए, रैगिंग का सामान्यतः अर्थ ऐसा कोई कार्य, आचरण या व्यवहार है जिसके द्वारा वरिष्ठ छात्रों की प्रभुत्व शक्ति या स्थिति का प्रयोग नए नामांकित छात्रों या अन्य छात्रों द्वारा किसी भी तरह से कनिष्ठ या निम्नतर समझे जाने वाले छात्रों पर किया जाता है और इसमें व्यक्तिगत या सामूहिक कृत्य या व्यवहार शामिल हैं जो समें शारीरिक हमला या धमकी या शारीरिक बल का इस्तेमाल शामिल है;

- महिला छात्रों की स्थिति, गरिमा और सम्मान का उल्लंघन करना;
- अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों की स्थिति, गरिमा और सम्मान का उल्लंघन करना;
- छात्रों को मज़ाक और अपमान का शिकार बनाना और उनके आत्म-सम्मान को ठेस पहुँचाना;
- इसमें मौखिक दुर्व्यवहार और आक्रामकता, अभद्र इशारे और अश्लील व्यवहार शामिल हैं।

4) कॉलेज के प्रिंसिपल, डिपार्टमेंट या किसी संस्थान के हेड, कॉलेज या यूनिवर्सिटी हॉस्टल, या रेजिडेंस हॉल के अधिकारी रैगिंग होने की किसी भी जानकारी पर तुरंत कार्रवाई करेंगे।
5) ऊपर क्लॉज़ (4) में किसी भी बात के बावजूद, प्रॉक्टर किसी भी घटना या रैगिंग की जांच कर सकता है और वाइस-चांसलर को उन लोगों की पहचान और घटना की प्रकृति के बारे में एक रिपोर्ट दे सकता है।
6) प्रॉक्टर रैगिंग करने वालों की पहचान और रैगिंग की घटना की प्रकृति बताते हुए एक शुरुआती रिपोर्ट जमा कर सकता है।

7) यदि किसी कॉलेज के प्रिंसिपल या विभाग या संस्थान के प्रमुख या प्रॉक्टर इस बात से संतुष्ट हैं कि किसी कारण से, जिसे लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा, ऐसी जांच करना उचित रूप से संभव नहीं है, तो वह तदनुसार वाइस-चांसलर को सलाह दे सकता है। जब वाइस-चांसलर संतुष्ट हो जाते हैं कि ऐसी जांच करना उचित नहीं है, तो उनका निर्णय अंतिम होगा।

8) क्लॉज़ (5) या (6) के तहत एक रिपोर्ट मिलने पर या क्लॉज़ 7 के तहत संबंधित अथॉरिटी द्वारा क्लॉज़ 3(a) (b) और (c) में बताई गई रैगिंग की घटनाओं के होने का पता चलने पर, वाइस-चांसलर एक छात्र को कुछ खास सालों के लिए रस्टिकेट करने का निर्देश या आदेश देंगे।

9) रैगिंग के अन्य मामलों में वाइस-चांसलर आदेश दे सकते हैं या निर्देश दे सकते हैं कि किसी भी छात्र को कॉलेज/डिपार्टमेंटल परीक्षा में एक या एक से ज़्यादा सालों के लिए किसी कोर्स में एडमिशन न दिया जाए या संबंधित छात्र या छात्रों की परीक्षा या परीक्षाओं के परिणाम रद्द कर दिए जाएं।

10) ऐसे मामलों में जहां दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त करने वाले छात्र इस अध्यादेश के तहत दोषी पाए जाते हैं, यूनिवर्सिटी द्वारा दी गई डिग्री या डिप्लोमा वापस लेने के लिए स्टैच्यूट 15 के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी। इस अध्यादेश के उद्देश्य के लिए रैगिंग में मदद करना भी रैगिंग माना जाएगा।

11) दिल्ली यूनिवर्सिटी सिस्टम के सभी संस्थान इस अध्यादेश के तहत जारी निर्देशों/आदेशों का पालन करने और अध्यादेश के प्रभावी कार्यान्वयन को प्राप्त करने के लिए वाइस-चांसलर को सहायता और मदद देने के लिए बाध्य होंगे।

12) नोट: अध्यादेश XV-C के अनुसरण में वाइस-चांसलर का आदेश: जहां इस अध्यादेश के तहत किसी भी अथॉरिटी द्वारा वाइस-चांसलर को रैगिंग की घटना(ओं) की सूचना दी जाती है, तो रैगिंग में शामिल छात्र(छात्रों) को आदेश में निर्दिष्ट एक निश्चित अवधि के लिए निष्कासित कर दिया जाएगा।

13) रैगिंग की रिपोर्ट में शामिल नॉन-स्टूडेंट्स पर भारत के क्रिमिनल लॉ के तहत कार्रवाई की जाएगी; उन्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने से पांच साल के लिए इनएलिजिबल भी कर दिया जाएगा। जिन स्टूडेंट्स के खिलाफ इस नोट के तहत ज़रूरी कार्रवाई की जाएगी, उन्हें नेचुरल जस्टिस के नियमों का सख्ती से पालन करते हुए, फैसले के बाद सुनवाई का मौका दिया जाएगा।

**नोट: ऑर्डिनेंस XV-C के तहत वाइस-चांसलर का ऑर्डर:**

अगर इस ऑर्डिनेंस के तहत किसी अथॉरिटी द्वारा वाइस-चांसलर को रैगिंग की घटनाओं की रिपोर्ट की जाती है, तो रैगिंग में शामिल स्टूडेंट को ऑर्डर में बताई गई एक तय अवधि के लिए निकाल दिया जाएगा। रैगिंग की रिपोर्ट में शामिल न होने वाले स्टूडेंट पर भारत के क्रिमिनल लॉ के तहत कार्रवाई की जाएगी; उन्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने के लिए पांच साल के लिए अयोग्य भी माना जाएगा। जिन स्टूडेंट के खिलाफ इस नोट के तहत ज़रूरी कार्रवाई की जाती है, उन्हें नेचुरल जस्टिस के नियमों का सख्ती से पालन करते हुए, फैसले के बाद सुनवाई का मौका दिया जाएगा।

# शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए एंटी रैगिंग और अनुशासन समिति

| क्र.सं. | नाम और पदनाम | मोबाइल नंबर | मेल पता |
|---|---|---|---|
| 1 | डॉ. अनुज कुमार (अनुशासन समिति संयोजक) | 9891604044 | dr.anuj@aryabhattacollege.ac.in |
| 2 | श्री हेमन्त कुमार (एंटी रैगिंग कमेटी संयोजक) | 9873125999 | hemant@aryabhattacollege.ac.in |
| 3 | डॉ. पवन कुमार | 9416110394 | pawan@aryabhattacollege.ac.in |
| 4 | डॉ. आस्था आहूजा | 9873284291 | asthaahuja@aryabhattacollege.ac.in |
| 5 | श्री गुफरान मलिक | 7827960882 | gufranmalik@aryabhattacollege.ac.in |
| 6 | डॉ. एन.एम.सिंह | 9810829480 | nmanichandras@aryabhattacollege.ac.in |
| 7 | डॉ. चंद्रशेखर निषाद | 9717828951 | csnishad@aryabhattacollege.ac.in |
| 8 | सुश्री नेहा कुमारी | 9868974056 | neha@aryabhattacollege.ac.in |
| 9 | श्री चंदन भारती मिश्रा | 9540838628 | chandanmishra@aryabhattacollege.ac.in |
| 10 | सुश्री कविता | 9873086785 | kavita@aryabhattacollege.ac.in |
| 11 | डॉ. नमिता सिंह | 9711749306 | namitasingh@aryabhattacollege.ac.in |
| 12 | डॉ. सचिन कुमार | 9953573625 | kumar@aryabhattacollege.ac.in |

# कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न

## (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013,

**कानून और न्याय मंत्रालय)**

अध्यादेश 16.6 कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करने और यौन उत्पीड़न की शिकायतों की रोकथाम और निवारण तथा उससे संबंधित मामलों के लिए एक अधिनियम।

चूंकि यौन उत्पीड़न के परिणामस्वरूप भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के तहत समानता के लिए एक महिला के मौलिक अधिकारों और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार और गरिमा के साथ जीने के अधिकार तथा किसी भी पेशे का अभ्यास करने या कोई व्यवसाय, व्यापार या कारोबार करने के अधिकार का उल्लंघन होता है, जिसमें यौन उत्पीड़न से मुक्त सुरक्षित माहौल का अधिकार शामिल है;

और चूंकि यौन उत्पीड़न से सुरक्षा और गरिमा के साथ काम करने का अधिकार अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और दस्तावेजों जैसे महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन द्वारा सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त मानवाधिकार हैं, जिसे भारत सरकार द्वारा 25 जून, 1993 को अनुमोदित किया गया है।

और चूंकि कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए उक्त कन्वेंशन को प्रभावी बनाने के लिए प्रावधान करना उचित है।

विवरण के लिए वेबसाइट देखें: http://indiacode.nic.in/acts-in-pdf/142013.pdf

# वित्तीय सहायता और पुरस्कार

### अखिल भारतीय प्रवेश छात्रवृत्ति

यूनिवर्सिटी हर साल अक्टूबर महीने में दिल्ली में ऑल इंडिया एंट्रेंस स्कॉलरशिप के लिए एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेती है। ये स्कॉलरशिप 50 होती हैं, जिनकी कीमत 250/- रुपये प्रति महीना होती है और ये तीन साल के लिए मिलती हैं। ये स्कॉलरशिप दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऑनर्स डिग्री कोर्स करने के लिए दी जाती हैं।

यह कॉम्पिटिशन उन स्टूडेंट्स के लिए खुला है जिन्होंने सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, नई दिल्ली से सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जाम पास किया है। कॉम्पिटिशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म हर साल 1 अगस्त के बाद किसी भी वर्किंग डे पर सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे के बीच ब्रांच vii (1), रूम नंबर 61, मेन यूनिवर्सिटी कैंपस में मिलेगा। एलिजिबल कैंडिडेट से एप्लीकेशन फॉर्म, 50/- रुपये की एग्जाम फीस के साथ स्वीकार किया जाएगा।

**फीस में छूट और स्कॉलरशिप कमेटी**

कॉलेज में एक फीस में छूट और स्कॉलरशिप कमेटी है जिसका मकसद ज़रूरतमंद छात्रों को फाइनेंशियल मदद देना है। इसके अलावा, जो छात्र इसके लिए अप्लाई करते हैं और एलिजिबल माने जाते हैं, उन्हें फीस में छूट दी जाती है। कमेटी ने 2015-16 से कुछ नई स्कॉलरशिप भी शुरू की हैं, जैसे:

- विवेकानंद मेधावी छात्र योजना: यह उन छात्रों को दी जाती है जिन्होंने खुद को खास साबित किया है केडमिकली।
- मेजर ध्यानचंद योजना: यह उन स्कॉलर्स को दी जाती है जिन्होंने स्पोर्ट्स के क्षेत्र में खुद को खास साबित किया है।
- डॉ. बी. आर. अंबेडकर योजना: यह उन रिज़र्व्ड कैटेगरी के स्कॉलर्स को दी जाती है जिन्हें फाइनेंशियल मदद की ज़रूरत है।
- लाइब्रेरी मित्र: यह अवॉर्ड उस स्टूडेंट को दिया जाता है जो लाइब्रेरी को पढ़ाई के लिए एक टूल के तौर पर पूरी तरह और लगन से इस्तेमाल करता है।

इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश डिपार्टमेंट के प्रो. बी. मंगलम द्वारा शुरू किए गए तीन मेमोरियल अवॉर्ड, जिनमें से हर एक में 2500/- रुपये का कैश प्राइज है।

- आर.आर.शर्मा मेमोरियल अवॉर्ड (इंग्लिश डिपार्टमेंट में पहले साल के टॉपर के लिए)
- के.आर.बी.मेमोरियल अवॉर्ड (इंग्लिश डिपार्टमेंट में दूसरे साल के टॉपर के लिए)
- सीता लक्ष्मी मेमोरियल अवॉर्ड (इंग्लिश डिपार्टमेंट में 3 साल में ओवरऑल टॉपर के लिए)

- **डॉ. रवि भूषण प्रसाद मेमोरियल अवॉर्ड** साइकोलॉजी में सबसे अच्छे स्टूडेंट के लिए। यह तीसरे साल के स्टूडेंट, जो पूरे ग्रेजुएशन के दौरान सबसे ज़्यादा CGPA स्कोर करने वाला छात्र, को दिया जाता है।

कॉलेज ने एक एंडोमेंट फंड बनाने का प्रस्ताव दिया है। जमा हुए फंड का इस्तेमाल उन छात्रों की मदद के लिए किया जाएगा जिन्हें फाइनेंशियल मदद की ज़रूरत है।

- **SC/ST छात्रों के लिए स्कॉलरशिप**

शेड्यूल्ड कास्ट/शेड्यूल्ड ट्राइब/पिछड़ी जातियों के छात्र और राजनीतिक पीड़ितों के बच्चे तय एप्लीकेशन फॉर्म पर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
इन स्कॉलरशिप के फॉर्म डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन, दिल्ली से लिए जा सकते हैं। स्कॉलरशिप के पेमेंट के बारे में जानकारी कॉलेज नोटिस बोर्ड पर नोटिस के ज़रिए दी जाएगी।

- **PM विद्यालक्ष्मी स्कॉलरशिप स्कीम**

यह फाइनेंशियल मदद और स्टूडेंट लोन के लिए एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो 860 क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस (HEIs) में एडमिशन लेने वाले छात्रों को बिना किसी गारंटी और बिना किसी गारंटर के एजुकेशन लोन देती है।

# महाविद्यालय पुस्तकालय

आर्यभट्ट कॉलेज लाइब्रेरी की स्थापना 1973 में राम लाल आनंद कॉलेज (इवनिंग) के यूज़र्स की एकेडमिक और इन्फॉर्मेशन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए की गई थी, जिसका नाम 2015 में बदलकर आर्यभट्ट कॉलेज कर दिया गया। कॉलेज लाइब्रेरी कॉलेज के तारेगना ब्लॉक के पास दो मंज़िला कॉम्प्लेक्स में है। यह लर्निंग रिसोर्स का एक यूज़र-फोकस्ड सेंटर है जो एकेडमिक और रिसर्च ज़रूरतों को पूरा करता है। लाइब्रेरी INFLIBNET द्वारा डेवलप किए गए इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम 'SOUL' (सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी) का इस्तेमाल करके ऑटोमेटेड है। लाइब्रेरी ने 2004 में SOUL सॉफ्टवेयर खरीदा और इंस्टॉल किया और सभी किताबों और लाइब्रेरी सर्विसेज़ का डेटाबेस बनाने के बाद 2006 तक अपने ऑपरेशन्स को ऑटोमेट करने में कामयाब रही। अभी लाइब्रेरी SOUL 3.0 वर्जन का इस्तेमाल कर रही है। इसमें एक कुशल OPAC (ओपन एक्सेस पब्लिक कैटलॉग) मॉड्यूल शामिल है जो यूज़र्स को लाइब्रेरी में किताबों की अवेलेबिलिटी का स्टेटस चेक करने की सुविधा देता है। लाइब्रेरी में 60 स्टूडेंट्स के बैठने की क्षमता वाला एक रीडिंग रूम है और कॉमर्स, हिंदी, इंग्लिश, साइकोलॉजी, मैनेजमेंट साइंस, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस पर 59000 से ज़्यादा किताबों का कलेक्शन है। इसमें हिंदी और इंग्लिश भाषाओं में 20 नेशनल और इंटरनेशनल पीरियोडिकल्स/मैगज़ीन और 9 न्यूज़पेपर (प्रिंट फॉर्म) का सब्सक्रिप्शन है। लाइब्रेरी NLIST सब्सक्रिप्शन के ज़रिए 98000 ई-बुक्स और लगभग 10000 ई-जर्नल्स के डेटाबेस तक एक्सेस देती है। NLIST सुविधा के अलावा, यूज़र्स कॉलेज नेटवर्क और रिमोट लॉगिन सुविधा के ज़रिए DULS (दिल्ली यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी सिस्टम) के माध्यम से उपलब्ध ई-रिसोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइब्रेरी रविवार और अन्य सरकारी छुट्टियों को छोड़कर, सभी वर्किंग डेज़ पर सुबह 8:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक खुली रहती है। मेंबरशिप

सभी वास्तविक छात्रों को केवल एक वर्ष के लिए सदस्यता प्रदान की जाती है। पुस्तकालय कार्ड एक स्मार्ट कार्ड है जो पुस्तकालय कार्ड और पहचान पत्र दोनों के रूप में कार्य करता है। छात्रों को प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष की अंतिम सत्र परीक्षा से पहले यह कार्ड जमा करना होगा। छात्रों को पुस्तकालय की सदस्यता प्राप्त करनी होगी।

एंड-सेमेस्टर परीक्षा में बैठने के लिए एडमिशन टिकट पाने के लिए क्लीयरेंस लेना ज़रूरी है। एडमिशन टिकट मिलने के बाद, ID-कार्ड की वैलिडिटी खत्म हो जाती है। जो छात्र दूसरे/तीसरे साल में प्रमोट हुए हैं, उन्हें नए एकेडमिक सेशन के लिए नई मेंबरशिप लेनी होगी।

रजिस्ट्रेशन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता है:

a. कॉलेज फीस रसीद जो 1st/3rd/5th सेमेस्टर में एडमिशन के तुरंत बाद आइडेंटिटी कार्ड के तौर पर काम करेगी, जब तक कि यह कार्ड जारी नहीं हो जाता।
b. एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो

**सदस्यों के विशेषाधिकार**

सदस्य को लाइब्रेरी से तय संख्या में किताबें/डॉक्यूमेंट्स उधार लेने का अधिकार होगा:

| Course | No. ofBooks | Period |
|---|---|---|
| B.A. (Programme) | 4 | 14 days |
| B.Com Course | 4 | 14 days |
| Hons. Courses | 4 | 14 days |

**लाइब्रेरी सदस्यता कार्ड का खो जाना**

लाइब्रेरी मेंबरशिप कार्ड खो जाने पर तुरंत सर्कुलेशन काउंटर या लाइब्रेरियन को बताएं और नया कार्ड बनवाने के लिए उस पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवाएं जहाँ वह खोया था। लाइब्रेरी मेंबरशिप कार्ड के गलत इस्तेमाल/खो जाने से होने वाले किसी भी नुकसान की पूरी ज़िम्मेदारी संबंधित मेंबर की होगी।

**किताब/किताबों का खो जाना**

किताब गुम होने की सूचना तुरंत लाइब्रेरियन को लिखकर देनी चाहिए। मेंबर को गुम हुई किताब को गुम होने की रिपोर्ट के 15 दिनों के अंदर बदलना होगा। अगर किताब किसी वॉल्यूम सेट का हिस्सा है, तो पूरा सेट बदलना होगा।
अगर कोई किताब गुम हो जाती है जो अब प्रिंट में नहीं है, तो मेंबर को डिस्ट्रीब्यूटर/किताब बेचने वाले से संबंधित सर्टिफिकेट जमा करना होगा। अगर पब्लिशर लोकल है, तो मेंबर को पब्लिशर से किताब के उपलब्ध न होने की पुष्टि करने वाला संबंधित सर्टिफिकेट लाना होगा।

**ओवरड्यू चार्ज**

अगर किताब/किताबें तय तारीख तक जमा नहीं की जाती हैं, तो हर दिन 2/- रुपये का ओवरड्यू चार्ज लगेगा। ओवरdue चार्ज 'कॉन्शियस बॉक्स' तरीके से जमा किए जाते हैं और इसके लिए कोई रसीद नहीं दी जाती है। ओवरड्यू चार्ज लगने से पहले, अगर किताब/किताबें तय तारीख से 30 दिनों के अंदर जमा नहीं की जाती हैं, तो एक हफ्ते के लिए मेंबरशिप कार्ड रोका जा सकता है।

**रिमाइंडर**

अगर कोई सदस्य 3 रिमाइंडर के बाद भी किताब/किताबें वापस नहीं करता है, तो मामला प्रिंसिपल को भेजा जाएगा।

**नो ड्यूज़ सर्टिफिकेट**

यूनिवर्सिटी परीक्षा के लिए एडमिशन टिकट जारी करने के लिए, लाइब्रेरियन सदस्यों को लाइब्रेरी से मिलने वाले तय फ़ॉर्म पर नो ड्यूज़ सर्टिफिकेट साइन करके देंगे।

**लाइब्रेरी के नियमों का उल्लंघन**

कॉलेज लाइब्रेरी व्यक्तिगत पढ़ाई की जगह है, इसलिए लाइब्रेरी में शांति और गरिमा का माहौल बनाए रखना ज़रूरी है। लाइब्रेरी में बात करना और धूम्रपान करना सख्त मना है। कोई भी छात्र जिसका काम या व्यवहार लाइब्रेरियन को गलत लगेगा, उसे लाइब्रेरी में एडमिशन देने से मना किया जा सकता है।

**किताबों/दस्तावेज़ों की देखभाल**

लाइब्रेरी की किताबें महंगी और अक्सर दुर्लभ होती हैं। उन्हें सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए। सदस्य किसी भी किताब पर लिखेंगे नहीं, उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, उसके पन्ने नहीं फाड़ेंगे या उस पर कोई निशान नहीं लगाएंगे। लाइब्रेरी सर्कुलेशन काउंटर से निकलने से पहले, सदस्य को यह पक्का कर लेना चाहिए कि उन्हें दी गई किताब अच्छी हालत में है। अगर नहीं, तो उन्हें तुरंत लाइब्रेरियन या लाइब्रेरी स्टाफ को इस बारे में बताना चाहिए। नहीं तो, सदस्य बाद में या किताब लौटाते समय पाए गए किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार होगा। सदस्य लाइब्रेरी की किसी भी किताब या दस्तावेज़ को नुकसान पहुंचाने या खोने के लिए ज़िम्मेदार होगा, जब वह उसके इस्तेमाल में हो, और उसे ऐसी किताब या दस्तावेज़ को बदलना होगा। किताब खोने, खराब होने, फटने या निशान लगाकर खराब करने पर जुर्माना लाइब्रेरी तय करेगी।

**पते में बदलाव**

किसी भी सदस्य के रहने के पते में कोई भी बदलाव होने पर लाइब्रेरियन और एडमिन ऑफिस को लिखित रूप में सूचित किया जा सकता है।

# कर्मचारी परिषद समितियाँ

1. प्रवेश समिति

    ऑनर्स कोर्स एडमिशन कोऑर्डिनेशन कमेटी
    बी.ए. प्रोग्राम और बी.कॉम. एडमिशन कोऑर्डिनेशन कमेटी
    एडमिशन शिकायत समिति
    एक्स्ट्रा-करिकुलर एडमिशन कमेटी
    स्पोर्ट्स एडमिशन कमेटी
    वार्ड कोटा एडमिशन कमेटी
    डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कमेटी (आरक्षित सीटें)

2. अनुशासन और एंटी-रैगिंग कमेटी अनुशासन समिति
3. कार्यभार समिति
4. समय सारणी समिति
5. मीडिया समन्वय समिति
6. आचार संहिता समिति
7. एनसीसी एनएसएस खेल समिति
8. राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्यान्वयन समिति
9. जेनेरिक इलेक्टिव कोऑर्डिनेशन कमेटी
10. वैल्यू एडेड कोर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी
11. स्किल एनहांसमेंट कोर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी
12. एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी
13. मल्टीडिसिप्लिनरी कोऑर्डिनेशन कमेटी
14. कार्य समिति
15. अतिरिक्त पाठ्यक्रम समिति पी.एफ. समिति में शिक्षक प्रतिनिधि विवरणिका और पत्रिका समिति

16. रिसर्च और पब्लिकेशन कमेटी

17. कैंटीन कमेटी

18. इंफ्रास्ट्रक्चर और कैंपस मेंटेनेंस कमेटी

19. परचेज कमेटी

20. वेबसाइट कमेटी

21. एलुमनाई रिलेशन्स कमेटी

22. स्टूडेंट्स एडवाइजरी और शिकायत कमेटी

23. पर्यावरण और सौंदर्य कमेटी

24. प्लेसमेंट सेल एडवेंचर और नेचर सोसाइटी

25. गांधी स्टडी सर्कल

26. फीस रियायत कमेटी एक्टिविटी सेल:

27. वित्त और निवेश प्रकोष्ठ स्टार्ट-अप और

28. उद्यमी प्रकोष्ठ एनाक्टस

29. लाइब्रेरी कमेटी

30. जेंडर सेंसिटाइजेशन कमेटी

31. इंस्टीट्यूशनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी

32. कला और संस्कृति कमेटी
    - वाद-विवाद समिति
    - रंगमंच समूह
    - संगीत समिति
    - द हेरिटेज और स्पिक मैके समिति
    - फ़ोटोग्राफ़ी क्लब
    - नृत्य समिति
    - उत्तर पूर्व छात्र प्रकोष्ठ

# छात्रों का कोना

कॉलेज में कई स्टूडेंट सोसाइटी काम करती हैं। इन सोसाइटी का मकसद खुद को एक्सप्रेस करने और ट्रेनिंग के मौके देना है। ये स्टूडेंट्स के ऑल राउंड डेवलपमेंट में भी मदद करती हैं। कॉलेज स्टूडेंट्स के बीच क्रिएटिव एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देने के लिए सेमिनार, डिबेट, कल्चरल प्रोग्राम वगैरह भी आयोजित करता है। को-करिकुलर सोसाइटी स्टूडेंट्स द्वारा एक स्टाफ एडवाइजर की गाइडेंस में चलाई जाती हैं।

**एकेडमिक सोसाइटी**

- इंग्लिश लिटरेरी एसोसिएशन
- कॉमर्स सोसाइटी (वाणिज्य)
- हिंदी सोसाइटी (हिंदी साहित्य परिषद)
- बिजनेस इकोनॉमिक्स सोसाइटी
- हिस्ट्री सोसाइटी (तथागत)
- मैथमेटिक्स सोसाइटी (सिग्मा)
- राजनीति विज्ञान सोसायटी (पेरिसा)
- कंप्यूटर साइंस सोसाइटी (टेक पायनियर)
- इकोनॉमिक्स सोसाइटी (माइंड ओवर मैटर)
- साइकोलॉजी सोसाइटी (सृजन)
- बी.ए. प्रोग्राम सोसाइटी (अरहत)
- बीएमएस सोसाइटी (संकल्प)

**योजनाएं**

- राष्ट्रीय कैडेट कोर
- राष्ट्रीय सेवा योजना

**पाठ्येतर सोसायटी**

- डिबेटिंग सोसाइटी
- थिएटर सोसाइटी (रंगमंच)
- फोटोग्राफी क्लब (PICWIC)
- एडवेंचर और नेचर सोसाइटी
- गांधी स्टडी सर्कल
- द म्यूजिक सोसाइटी
- द स्टार्ट अप एंड एंटरप्रेन्योरशिप सेल

- एनेक्टस द हेरिटेज और SPICMACAY
- सोसायटी फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट सेल
- डांस सोसायटी
- नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स सोसायटी
- प्लेसमेंट सेल

**छात्र परिषद**

कॉलेज की स्टूडेंट काउंसिल दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन से एफिलिएटेड होगी। मेडिकल सुविधाएँ कॉलेज में स्टूडेंट्स के लिए कॉलेज के घंटों के दौरान किसी भी इमरजेंसी मेडिकल स्थिति से निपटने के लिए ज़रूरी मेडिकल सुविधाएँ हैं। फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट कॉलेज में फिजिकल एजुकेशन टीचर की देखरेख में कई आउटडोर और इनडोर गेम्स की सुविधाएँ हैं।

- ताइक्वांडो
- जिम्नास्टिक्स
- एथलेटिक्स
- क्रिकेट
- टेबल टेनिस
- वॉली बॉल
- खो खो
- फूटबाल
- कबड्डी
- बैडमिंटन
- चेस

# शिक्षकों की सूची

| क्र.सं. | नाम | पद का नाम | विभाग |
|---|---|---|---|
| 1 | प्रो. मनोज सिन्हा | प्रोफेसर-प्रिंसिपल | राजनीति शास्त्र |
| 2 | प्रो. जे.के. सिंह | प्रोफ़ेसर | वाणिज्य |
| 3 | प्रो. मोनिका अग्रवाल | प्रोफ़ेसर | वाणिज्य |
| 4 | डॉ. विनय कुमार | सह - प्राध्यापक | वाणिज्य |
| 5 | डॉ. आंचल गुप्ता | सहेयक प्रोफेसर | वाणिज्य |
| 6 | श्री संकेत शेखर | सहेयक प्रोफेसर | वाणिज्य |
| 7 | डॉ. शिवानी रहेजा | सहेयक प्रोफेसर | वाणिज्य |
| 8 | सुश्री तृप्ति गोयल | सहेयक प्रोफेसर | वाणिज्य |
| 9 | डॉ. रुचि जैन | सहेयक प्रोफेसर | वाणिज्य |
| 10 | डॉ. रुचि शर्मा | सहेयक प्रोफेसर | वाणिज्य |
| 11 | डॉ. प्रभु दयाल सैनी | सहेयक प्रोफेसर | वाणिज्य |
| 12 | डॉ. सुदीप्त मुखर्जी | सहेयक प्रोफेसर | वाणिज्य |
| 13 | डॉ. रंजन कुमार | प्रोफ़ेसर | कंप्यूटर विज्ञान |
| 14 | डॉ. प्रीति जगवानी | सह - प्राध्यापक | कंप्यूटर विज्ञान |
| 15 | डॉ. सोनल लिंडा | सहेयक प्रोफेसर | कंप्यूटर विज्ञान |
| 16 | डॉ. दीपक शर्मा | सहेयक प्रोफेसर | कंप्यूटर विज्ञान |
| 17 | सुश्री मोना अदलखा | सहेयक प्रोफेसर | कंप्यूटर विज्ञान |
| 18 | श्री गगनदीप शर्मा | सहेयक प्रोफेसर | कंप्यूटर विज्ञान |
| 19 | सुश्री उपासना सिंह | सहेयक प्रोफेसर | कंप्यूटर विज्ञान |
| 20 | सुश्री नेहा कुमारी | सहेयक प्रोफेसर | कंप्यूटर विज्ञान |
| 21 | श्री हेमंत कुमार | सहेयक प्रोफेसर | कंप्यूटर विज्ञान |
| 22 | श्री हरीश धवन | सह - प्राध्यापक | अर्थशास्त्र |
| 23 | डॉ. कार्तिक्या कोहली | सह - प्राध्यापक | अर्थशास्त्र |
| 24 | प्रो. सूरजीत देब | प्रोफ़ेसर | अर्थशास्त्र |
| 25 | डॉ. एस.एल. चक्रवर्ती | प्रोफ़ेसर | अर्थशास्त्र |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 26 | डॉ. गुरशरण रस्तोगी | सह - प्राध्यापक | अर्थशास्त्र |
| 27 | डॉ. दीपिका गोयल | प्रोफ़ेसर | अर्थशास्त्र |
| 28 | डॉ. एन.एम. सिंह | सह - प्राध्यापक | अर्थशास्त्र |
| 29 | डॉ. आस्था आहूजा | सह - प्राध्यापक | अर्थशास्त्र |
| 30 | श्री नवनीत कुमार | सहेयक प्रोफेसर | अर्थशास्त्र |
| 31 | डॉ. आर.के. द्विवेदी | सह - प्राध्यापक | अंग्रेज़ी |
| 32 | प्रो. बी. मंगलम | प्रोफ़ेसर | अंग्रेज़ी |
| 33 | डॉ. गीता बुधराजा | सह - प्राध्यापक | अंग्रेज़ी |
| 34 | सुश्री प्रीति एम. गचे | सह - प्राध्यापक | अंग्रेज़ी |
| 35 | डॉ. कामायनी कुमार | सह - प्राध्यापक | अंग्रेज़ी |
| 36 | श्री बिनय भूषण अग्रवाल | सह - प्राध्यापक | अंग्रेज़ी |
| 37 | डॉ. रोशनी | सहेयक प्रोफेसर | अंग्रेज़ी |
| 38 | सुश्री अलका लखेरा | सहेयक प्रोफेसर | अंग्रेज़ी |
| 39 | प्रो. राजेंद्र दयाल | प्रोफ़ेसर | राजनीति शास्त्र |
| 40 | प्रो. त्रिपुरारी शरण | प्रोफ़ेसर | राजनीति शास्त्र |
| 41 | प्रो. सतीश कुमार झा | प्रोफ़ेसर | राजनीति शास्त्र |
| 42 | डॉ. राजीव कुमार रंजन | सह - प्राध्यापक | राजनीति शास्त्र |
| 43 | डॉ. शिव पूजन प्रसाद पाठक | सहेयक प्रोफेसर | राजनीति शास्त्र |
| 44 | श्री देवकी नंदन | सह - प्राध्यापक | राजनीति शास्त्र |
| 45 | डॉ. रश्मि राय | सहेयक प्रोफेसर | राजनीति शास्त्र |
| 46 | श्री आनंद सौरभ | सहेयक प्रोफेसर | राजनीति शास्त्र |
| 47 | प्रो. कैलाश प्रकाश सिंह | प्रोफ़ेसर | हिन्दी |
| 48 | डॉ. देव प्रकाश मिश्रा | सह - प्राध्यापक | हिन्दी |
| 49 | प्रो. बलराज सिंह | प्रोफ़ेसर | हिन्दी |
| 50 | प्रो. एस.बी.एन. तिवारी | प्रोफ़ेसर | हिन्दी |
| 51 | डॉ. प्रोमिला | सहेयक प्रोफेसर | हिन्दी |
| 52 | डॉ. धीरेन्द्र बहादुर सिंह | सह - प्राध्यापक | हिन्दी |
| 53 | डॉ. नीतू जय सिंघानी | सह - प्राध्यापक | हिन्दी |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 54 | डॉ. बीरेंद्र कुमार | सह - प्राध्यापक | हिन्दी |
| 55 | डॉ. रश्मि त्यागी | सहेयक प्रोफेसर | हिन्दी |
| 56 | डॉ. राजेश कुमार | सह - प्राध्यापक | इतिहास |
| 57 | डॉ. रीना रागी | सहेयक प्रोफेसर | इतिहास |
| 58 | डॉ. पवन कुमार | सह - प्राध्यापक | इतिहास |
| 59 | डॉ. कृष्ण मुरारी | सह - प्राध्यापक | इतिहास |
| 60 | डॉ. संगीता कुमारी | सह - प्राध्यापक | इतिहास |
| 61 | सुश्री नमिता सिंह | सहेयक प्रोफेसर | इतिहास |
| 62 | श्री सचिन चौहान | सहेयक प्रोफेसर | इतिहास |
| 63 | डॉ. सचिन कुमार | सहेयक प्रोफेसर | इतिहास |
| 64 | प्रो. नरेन्द्र कुमार | प्रोफ़ेसर | गणित |
| 65 | डॉ. नवीन कुमार जैन | सह - प्राध्यापक | गणित |
| 66 | डॉ. योगेन्द्र सिंह | सह - प्राध्यापक | गणित |
| 67 | सुश्री आकांक्षा सिंह | सहेयक प्रोफेसर | गणित |
| 68 | श्री गुफरान मलिक | सह - प्राध्यापक | गणित |
| 69 | डॉ. चंद्रशेखर निषाद | सहेयक प्रोफेसर | गणित |
| 70 | डॉ. मनोज सिंह | सहेयक प्रोफेसर | गणित |
| 71 | श्री धीरज सिंह | सहेयक प्रोफेसर | गणित |
| 72 | डॉ. हैली सिंह थोकचोम | सहेयक प्रोफेसर | मनोविज्ञान |
| 73 | डॉ. अनीषा जुनेजा | सहेयक प्रोफेसर | मनोविज्ञान |
| 74 | डॉ. नीरा | सहेयक प्रोफेसर | मनोविज्ञान |
| 75 | डॉ. अंकित प्रकाश | सहेयक प्रोफेसर | मनोविज्ञान |
| 76 | डॉ. सुनील गुप्ता | सहेयक प्रोफेसर | मनोविज्ञान |
| 77 | डॉ. थंगबियाकचिंग | सहेयक प्रोफेसर | मनोविज्ञान |
| 78 | डॉ. वर्षा सिंह | सहेयक प्रोफेसर | मनोविज्ञान |
| 79 | सुश्री सोशोमी माकांग | सहेयक प्रोफेसर | मनोविज्ञान |
| 80 | डॉ. प्रिया भटनागर | सहेयक प्रोफेसर | मनोविज्ञान |
| 81 | श्री चंदन भारती मिश्रा | सहेयक प्रोफेसर | पर्यावरण अध्ययन |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 82 | डॉ. राम कृष्ण | सहेयक प्रोफेसर | पर्यावरण अध्ययन |
| 83 | सुश्री चेरी उप्पल | सहेयक प्रोफेसर | बीएमएस |
| 84 | श्री प्रदीप सिंह | सहेयक प्रोफेसर | बीएमएस |
| 85 | डॉ. शिप्रा अग्रवाल | सहेयक प्रोफेसर | बीएमएस |
| 86 | सुश्री कविता | सहेयक प्रोफेसर | बीएमएस |
| 87 | डॉ. गिरीश गर्ग | सहेयक प्रोफेसर | बीएमएस |
| 88 | डॉ. तृप्ति | सहेयक प्रोफेसर | कला-स्नातक (विज्ञ पाठ्यक्रम) व्यवसाय अर्थशास्त्र |
| 89 | सुश्री गायत्री यादव | सहेयक प्रोफेसर | कला-स्नातक (विज्ञ पाठ्यक्रम) व्यवसाय अर्थशास्त्र |
| 90 | सुश्री मृदुला शर्मा | सहेयक प्रोफेसर | कला-स्नातक (विज्ञ पाठ्यक्रम) व्यवसाय अर्थशास्त्र |
| 91 | श्री अभिषेक जयसवाल | सहेयक प्रोफेसर | कला-स्नातक (विज्ञ पाठ्यक्रम) व्यवसाय अर्थशास्त्र |
| 92 | श्री रवि करार | सहेयक प्रोफेसर | कला-स्नातक (विज्ञ पाठ्यक्रम) व्यवसाय अर्थशास्त्र |
| 93 | डॉ. अनुज कुमार | निदेशक | व्यायाम शिक्षा |

# गैर-शिक्षण कर्मचारियों की सूची

**आर्यभट्ट कॉलेज**

**(गैर-शिक्षण कर्मचारियों की सूची)**

| प्रशासनिक विभाग | | | |
|---|---|---|---|
| **क्र.सं.** | **नाम** | **पद का नाम** | **विभाग** |
| 1 | श्रीमती अंजू अग्रवाल | प्रशासनिक अधिकारी | प्रशासन |
| 2 | श्री सुनील सिंह लिंगवाल | प्रशासनिक अधिकारी | प्रशासन |
| 3 | श्री अनुराग शर्मा | वरिष्ठ निजी सहायक | प्रशासन |
| 4 | श्री सौरभ गर्ग | वरिष्ठ तकनीकी सहायक | प्रशासन |
| 5 | श्री लोकेश | वरिष्ठ सहायक | प्रशासन |
| 6 | श्री किशोर कुमार | बिजली मिस्त्री | प्रशासन |
| 7 | श्री पंकज कुमार | वरिष्ठ सहायक | प्रशासन |
| 8 | श्रीमती मोनिका आहूजा | सहायक | प्रशासन |
| 9 | श्री अरविन्द करायला | सहायक | प्रशासन |
| 10 | श्री आशु कुमार | सहायक | प्रशासन |
| 11 | सुश्री आरती रानी | कनिष्ठ सहायक | प्रशासन |
| 12 | श्री राम शंकर पंडित | कनिष्ठ सहायक | प्रशासन |
| 13 | श्री रवि कुमार श्रीवास्तव | कनिष्ठ सहायक | प्रशासन |
| 14 | सुश्री इशिका | कनिष्ठ सहायक | प्रशासन |
| 15 | श्री दीपक कुमार | कनिष्ठ सहायक | प्रशासन |
| 16 | श्री दिनेश कुमार | कार्यालय परिचर | प्रशासन |
| 17 | श्री परमानन्द | कार्यालय परिचर | प्रशासन |
| 18 | श्री विनय कुमार | कॉम्प. लैब अटेंडेंट | प्रशासन |
| 19 | श्री अभिषेक जसवाल | एमटीएस-कार्यालय परिचारक | प्रशासन |
| 20 | श्री दीपक कुमार जैन | एमटीएस-कार्यालय परिचारक | प्रशासन |

**आर्यभट्ट कॉलेज**
**(गैर-शिक्षण कर्मचारियों की सूची)**

| लेखा विभाग | | | |
|---|---|---|---|
| **क्र.सं.** | **नाम** | **पद का नाम** | **विभाग** |
| 21 | श्री गणेश चन्द्र दास | अनुभाग अधिकारी | लेखा |
| 22 | सुश्री अनुप्रिया | वरिष्ठ सहायक | लेखा |
| 23 | सुश्री सुबाला गौतम | वरिष्ठ सहायक | लेखा |
| 24 | श्री अनिल कुमार झा | कनिष्ठ सहायक | लेखा |
| 25 | श्री अतहर इमाम खान | कनिष्ठ सहायक | लेखा |
| 26 | श्री रवि | कनिष्ठ सहायक | लेखा |
| पुस्तकालय विभाग | | | |
| **क्र.सं.** | **नाम** | **पद का नाम** | **विभाग** |
| 27 | डॉ. धर्म कुमार | पुस्तकालय अध्यक्ष | पुस्तकालय |
| 28 | सुश्री रितु राणा | पेशेवर सहायक | पुस्तकालय |
| 29 | श्री पुरूषोत्तम | पेशेवर सहायक | पुस्तकालय |
| 30 | श्री रवि कुमार मुद्गल | अर्ध व्यावसायिक सहायक | पुस्तकालय |
| 31 | मो. अदनान सिद्दीकी | पुस्तकालय सहायक | पुस्तकालय |
| 32 | श्री संतोष बिष्ट | पुस्तकालय सहायक | पुस्तकालय |
| 33 | श्री बेद राम देवकोटा | पुस्तकालय परिचारक | पुस्तकालय |
| 34 | श्री मनोज कुमार | पुस्तकालय परिचारक | पुस्तकालय |
| 35 | श्री राजीव | पुस्तकालय परिचारक | पुस्तकालय |
| 36 | श्री जीतेन्द्र कुमार | पुस्तकालय परिचारक | पुस्तकालय |
| 37 | श्री संजय कुमार | पुस्तकालय परिचारक | पुस्तकालय |
| 38 | श्रीमती सबिता कुमारी | पुस्तकालय परिचारक | पुस्तकालय |
| 39 | श्री निरंजन कुमार | पुस्तकालय परिचारक | पुस्तकालय |
| 40 | श्री कमल तिवारी | पुस्तकालय परिचारक | पुस्तकालय |
| 41 | श्री गोरख कुमार | पुस्तकालय परिचारक | पुस्तकालय |
| 42 | श्री धर्मेन्द्र कुमार मीना | पुस्तकालय परिचारक | पुस्तकालय |

# सीट मैट्रिक्स, 2025-26

| | पाठ्यक्रम | यूआर | एससी | एसटी | ओबीसी | इडब्ल्यूएस | कुल | पीडब्ल्यूबीडी | अतिरिक्त आवंटन % में |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 15% | 7.50% | 27% | 10% | | | |
| 1 | कला-स्नातक (प्रोग्राम) अर्थशास्त्र + गणित | 21 | 8 | 4 | 14 | 5 | **52** | **3** | 0 |
| 2 | कला-स्नातक (प्रोग्राम) अंग्रेजी + मनोविज्ञान | 21 | 8 | 4 | 14 | 5 | **52** | **3** | 0 |
| 3 | कला-स्नातक (प्रोग्राम) इतिहास + राजनीति विज्ञान | 21 | 8 | 4 | 14 | 5 | **52** | **3** | 2 |
| 4 | वाणिज्य-स्नातक | 21 | 8 | 4 | 14 | 5 | **52** | **3** | 10 |
| 5 | वाणिज्य-स्नातक (विज्ञ पाठ्यक्रम) | 21 | 8 | 4 | 14 | 5 | **52** | **3** | 10 |
| 6 | कला-स्नातक (विज्ञ पाठ्यक्रम) अर्थशास्त्र | 21 | 8 | 4 | 14 | 5 | **52** | **3** | 10 |
| 7 | कला-स्नातक (विज्ञ पाठ्यक्रम) अंग्रेजी | 42 | 16 | 8 | 28 | 10 | **104** | **5** | 0 |
| 8 | कला-स्नातक (विज्ञ पाठ्यक्रम) हिंदी | 21 | 8 | 4 | 14 | 5 | **52** | **3** | 30 |
| 9 | कला-स्नातक (विज्ञ पाठ्यक्रम) इतिहास | 42 | 16 | 8 | 28 | 10 | **104** | **5** | 0 |
| 10 | कला-स्नातक (विज्ञ पाठ्यक्रम) राजनीति शास्त्र | 42 | 16 | 8 | 28 | 10 | **104** | **5** | 0 |
| 11 | कला-स्नातक (विज्ञ पाठ्यक्रम) मनोविज्ञान | 21 | 8 | 4 | 14 | 5 | **52** | **3** | 0 |
| 12 | विज्ञान-स्नातक (विज्ञ पाठ्यक्रम) कंप्यूटर विज्ञान | 21 | 8 | 4 | 14 | 5 | **52** | **3** | 0 |
| 13 | विज्ञान-स्नातक (विज्ञ पाठ्यक्रम) गणित | 21 | 8 | 4 | 14 | 5 | **52** | **3** | 20 |
| 14 | कला-स्नातक (विज्ञ पाठ्यक्रम) व्यवसाय अर्थशास्त्र | 42 | 16 | 8 | 28 | 10 | **104** | **5** | 10 |
| 15 | प्रबंधन अध्ययन स्नातक (बीएमएस) | 42 | 16 | 8 | 28 | 10 | **104** | **5** | 10 |
| **कुल जोड़** | | **420** | **160** | **80** | **280** | **100** | **1040** | -- | -- |

# ईसीए कोटा सीट मैट्रिक्स, 2025-26

| श्रेणी | उप-श्रेणी | उप-श्रेणी | सीटों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1. रचनात्मक लेखन | 1a. | रचनात्मक लेखन (हिंदी) | 1 |
| | 1b. | रचनात्मक लेखन (अंग्रेजी) | 1 |
| 2. नृत्य | 2a. | भारतीय शास्त्रीय | 1 |
| | 2b. | भारतीय लोक | 1 |
| | 2c. | वेस्टर्न | 1 |
| 3. तर्क-वितर्क | 3a. | तर्क-वितर्क (हिंदी) | 1 |
| | 3b. | तर्क-वितर्क(अंग्रेजी) | 1 |
| 4. डिजीटल मीडिया | 4a. | फोटोग्राफी | 0 |
| 5. ललित कला | 5a. | स्केचिंग और पेंटिंग | 1 |
| 6. संगीत (गायन) | 6a. | संगीत (गायन) भारतीय | 1 |
| | 6b. | संगीत (गायन) वेस्टर्न | 1 |
| 7. संगीत उपकरण अल: भारतीय) | 7a. | तबला | 0 |
| | 7b. | मृदंगम | 0 |
| | 7c. | ढोलक | 0 |
| | 7d. | पखावज | 0 |
| | 7e. | घटम | 0 |
| | 7f. | हारमोनियम | 1 |
| | 7g. | भारतीय बांसुरी | 0 |
| | 7h. | सितार | 0 |
| | 7i. | भारतीय सारंगी | 0 |
| | 7j. | सरोद | 0 |
| | 7k. | संतूर | 0 |
| 8. संगीत उपकरण अल: वेस्टर्न) | 8a. | ड्रम | 0 |
| | 8b. | वेस्टर्न बांसुरी | 0 |
| | 8c. | सैक्सोफोन | 0 |
| | 8d. | गिटार (लीड) | 0 |
| | 8e. | गिटार (बास) | 0 |
| | 8f. | वेस्टर्न सारंगी | 0 |
| | 8g. | कुंजीपटल | 0 |
| 9. थियेटर | 9 | थिएटर | 2 |
| 10. प्रश्नोत्तर परीक्षा | 10 | प्रश्नोत्तर परीक्षा | 0 |
| 11. दिव्यता/DIVINITY* | 11 | दिव्यता/Divinity | 0 |
| 12. एनसीसी/NCC | 12 | एनसीसी/NCC | 0 |
| 13. एनएसएस/NSS | 13 | एनएसएस/NSS | 2 |
| 14. योग/YOGA | 14 | योग/Yoga | 0 |
| | | **Total ECA Seats Being Offered** | **15** |

# शुल्क और जुर्माना

- सिक्योरिटी, स्टूडेंट के कॉलेज छोड़ने की तारीख से 3 साल के अंदर वापस कर दी जाएगी।
- विदेशी स्टूडेंट्स से US Rs.18000/- प्रति वर्ष के बराबर स्पेशल फीस ली जाएगी।
- कॉलेज की फीस ONLINE ही जमा करनी होगी। कैश/चेक/पे ऑर्डर/ड्राफ्ट वगैरह स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
- अगर कोई स्टूडेंट बताई गई तारीख के एक महीने के अंदर अपनी फीस जमा नहीं करता है, तो उसका नाम कॉलेज के रिकॉर्ड से काट दिया जाएगा।
- फीस देर से जमा करने पर फाइन कॉलेज द्वारा सही समय पर तय किया जाएगा।
- लाइब्रेरी किताबों पर फाइन: जनरल Re.2/- प्रति दिन और ओवरनाइट Rs. 2/- प्रति दिन।
- सभी स्टूडेंट्स से एलुमनाई एसोसिएशन की मेंबरशिप फीस Rs.300 ली जाएगी।
- आइडेंटिटी कार्ड खो जाने पर 300 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

# शुल्क संरचना 2025-26

| क्रमांक | कोर्स का नाम | शुल्क |
|---|---|---|
| 1 | कला-स्नातक (विज्ञ पाठ्यक्रम)व्यवसाय अर्थशास्त्र | 35220 |
| 2 | विज्ञान-स्नातक (विज्ञ पाठ्यक्रम) कंप्यूटर विज्ञान | 38920 |
| 3 | कला-स्नातक (प्रोग्राम) | 20920 |
| 4 | कला-स्नातक (विज्ञ पाठ्यक्रम) अर्थशास्त्र | 21220 |
| 5 | कला-स्नातक (विज्ञ पाठ्यक्रम) अंग्रेजी | 20920 |
| 6 | कला-स्नातक (विज्ञ पाठ्यक्रम) हिंदी | 20920 |
| 7 | कला-स्नातक (विज्ञ पाठ्यक्रम) इतिहास | 20920 |
| 8 | कला-स्नातक (विज्ञ पाठ्यक्रम) राजनीति शास्त्र | 20920 |
| 9 | विज्ञान-स्नातक (विज्ञ पाठ्यक्रम)गणित | 23920 |
| 10 | कला-स्नातक (विज्ञ पाठ्यक्रम) मनोविज्ञान | 24220 |
| 11 | वाणिज्य-स्नातक | 21220 |
| 12 | वाणिज्य-स्नातक (विज्ञ पाठ्यक्रम) | 21220 |
| 13 | प्रबंधन अध्ययन स्नातक (बीएमएस) | 35220 |
| 14 | सभी पाठ्यक्रम PWD | 1205 |

नोट: विदेशी छात्र शुल्क अतिरिक्त : 18000/-

# विवरणिका समिति

श्री लोकेश (सदस्य), प्रोफेसर बलराज सिंह (सदस्य),
डॉ. थांगबियाकचिंग (सदस्य), प्रोफेसर मनोज सिन्हा (प्रिंसिपल), सुश्री तृप्ति गोयल (संयोजक)

मुझे आपको आर्यभट्ट कॉलेज का प्रॉस्पेक्टस 2025-26 पेश करते हुए बहुत खुशी हो रही है - यह एक ऐसी गाइड है जो हमारे कॉलेज और उसके कल्चर के दरवाज़े खोलती है। टीम ने पूरी लगन से सभी ज़रूरी जानकारी इकट्ठा की है जो आने वाले बैच के स्टूडेंट्स को कॉलेज की सुविधाओं और मौकों के बारे में जानने और उन सोसाइटीज़ और क्लब्स के बारे में सोच-समझकर फैसले लेने में मदद करेगी जिन्हें वे ज्वाइन करना चाहते हैं।
हमें पूरी उम्मीद है कि यह प्रॉस्पेक्टस एक इंसान के तौर पर आगे बढ़ने की आपकी खूबसूरत यात्रा में एक अहम रिसोर्स साबित होगा। मैं, आर्यभट्ट कॉलेज की ओर से, आपको हमारे एकेडमिक परिवार में स्वागत करने के लिए उत्सुक हूँ।

**सुश्री तृप्ति गोयल**
**(संयोजक)**

STREET
STREE   TRUCK

PRESENTS
संवाद
( Dialogue with Students )
CHIEF GUEST

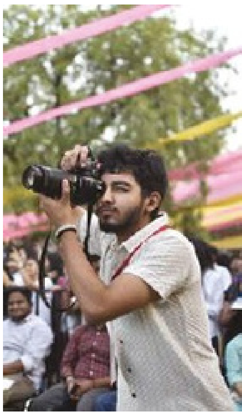

ARYABHATTA COLLEGE
UNIVERSITY OF DELHI
SPORTS PRESIDENT
FOOTBALL
CRICKET

**Aryabhatta College**
**University of Delhi**

Benito Juarez Road,
New Delhi-110021, India.

011-24110490

admin@aryabhattacollege.ac.in

+91-11-24117284

www.aryabhattacollege.ac.in

**आर्यभट्ट महाविद्यालय**
**दिल्ली विश्वविद्यालय**

बेनिटो हुआरेज़ रोड
नई दिल्ली -110021 (भारत)

011-24110490

admin@aryabhattacollege.ac.in

+91-11-24117284

www.aryabhattacollege.ac.in